हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही..

28 जनवरी 1976

खण्ड1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

बुधवार, 28 जनवरी, 1976

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(12)1

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

(12)13

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

(12)19

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव,

(12)20

दी हरिया णा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डैंटिडनैस बिल,1976 (12) 20

दी हरियाणा डाँरी प्रोहीबशन बिल, 1976

(12) 35

दी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर

(हरियाणा अमेंडमेंट ऐंड वेलिडशन) बिल, 1976

(12) 55

दी हरियाणा लैजस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैशन

एं ड मैडिकल फंसिलिटीज बिल, 1976

(12) 56

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 28 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ में 9—30 बजे प्रातः हुई ।

अध्यक्ष ने अध्यक्षता की । (चौधरी सरूप सिंह)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Question Hour

तारांकित प्रश्न सं ० 1419

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य । चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं ० 1457

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य । चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

ताराकिंत प्रश्न सं ० 1539

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री ओम प्रकाश गर्ग, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Bridges over the Western Jamuna Canal

***1575. Shri Dhaja Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to re-construct the following bi idges over the Western Jamuna Canal :-

(i) Badshahi bridge Safidon.

(ii) Bridge connecting villages Chhapur and Jaipur.

(iii) The narrow bridge connecting villages Khunga to Lochab near Khunga Kothi and whether there is any scheme to widen this bridge.

(iv) Bridge connecting village Barsana and Manaurpur.

(v) Narrow bridge connecting villages Boht Wala to Manaurpur.

(vi) Bridge connecting Boht Wala to Khokhri.

(vii) Bridge connecting village Kandela to Jind ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh (Chatha) :

(i) The Badshahi bridge at R. D. 66125 is being re-constructed by B & R Department.

(ii) to (vii) Yes, Sir.

Coaching Centre for Harijan Candidates for I.A.S. and H. C. S. Examinations

***1588. Chaudhri Phul Singh Kataria :** Will the Chief Minister be **pleased** to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start a coaching centre for Harijan candidates for I.A.S. and H.C.S . examinations in the State; if so, the name of the place where it is likely to be started; and

(b) the amount of stipend and the Hostel facilities, if any, which are to be given to such candidates ?

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand)

(a) & (b) Yes. The mater is under consideration of the Government.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस सैन्टर को कबतक चालू करने की योजना है?

Shri Shyam Chand : Sir, I told the hon. Member that the matter is under consideration. We are examining it and we are trying to expedite it.

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिस तरह से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं, तो क्या इसी प्रकार से बैकवर्ड एरियाज के लोगों को भी सहूलियत दी जाएगी?

Shri Shyam Chand : Sir, this question is being dealt with under the Harijan Social Welfare Department and it is absolutely meant for those persons.

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिस तरह से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को यह सहूलियत दी जा रही है, तो क्या उसी तरहे से जैसें मेंरे दोस्त ने पूछा कि बैकवर्ड एरियाज को और साथ वीकर सैक्शन आफ दी सोसाइटी को भी सहूलियत दी जाएगी?

Shri Shyam Chand : Sir, this is meant for the weaker section which is defined in the Constitution.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह सैन्टर कौन सी जगह पर खोलने का विचार है ?

Shri Shyam Chand : Sir, when it is said that the matter is under consideration and under examination, it includes everything including selection of site etc.

Chaudhri Phool Chand (Mullana) : May I know from the Hon. Minister whether there is any proposal to improve the conditions of the previous centres which are already working and which are not meant for the I.A.S. and H.C.S. Officers ?

Shri Shyam Chand : Sir, that is why we ate considering setting up of a separate centre for I.A.S. and H.C.S.

'चौधरी शिवराम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय जाति–पाति को छोड़कर जो लोग आर्थिक तौर पर वीक हैं, उनको कोई सहूलियत देने पर विचार करेंगे?

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहब, ये तो वीक नहीं हैं, ये

तो मजबूत हैं। – (हंसी) –

श्री अमर सिंह : जैसे कि मन्त्री महोदय ने सवाल के जवाब में बताया. कि मैटर अन्डर कन्सीड्रेशन है, तो क्या वे बताएंगे कि यह कब से अन्डर कंसीड्रेशन है और कब तक फाइनल हो जाएगा ?

Shri Shyam Chand : It is under consideration. Sir, I won't say anything further.

Chaudhri Phool Chand (Mullana) Mr. Speaker, Sir, my question

was whether there is any proposal to improve the conditions of the institutions already working and the reply has come that the matter is under consideration. I am, unable to make out what the answer is ?

Shri Shyam Chand : Sir, he put two questions. Firstly whether

we are improving the working of the existing institutions and secondly whether we want to set up another institution. So, I have replied and there is no fault with the working of the existing institutions.

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा था, वह शारीरिक तौर पर नहीं पूछा था, बल्कि मैंनेतो आर्थिक तौर पर पिछडे हुए वर्ग के लिए पूछा था ।

श्री श्याम चन्द : मैंने आर्थिक तौर पर भी बतायाकि जो

कमजोर लोग हैं, जिनका विधान में जिक्र है, उन्हीं के लिए यह किया गया है ।

तारांकित प्रश्न सं० 159०

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी फूल चन्द (रोहट), सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं० 142०

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं० 1458

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं० 154०

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री ओम प्रकाश गर्ग, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Hospital at Safidon

***1576. Shri Dhaja Ram** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 25 bedded Hospital at Safidon; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी): सफीदों में एक 25 बिस्तरों वाला हस्पताल पहले ही पर्याप्त भवन मैं स्थित है ।

श्री धज्जा राम मन्त्री : महोदया ने जैसे पर्याप्त भवन के बारे में बताया तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगी कि यह जो 25 बैड का हस्पताल बनाने जा रहे हैं, उस पर कितनी कास्ट आएगी और उसके लिए कोई जमीन भी एक्वायर की गई हए या नहीं?

श्रीमती शारदा रानी : मैंने पहले ही बता दिया है कि 25 बिस्तरों वाला हस्पताल पहले ही पर्याप्त है और कोई बिल्डिग बनाने की तजवीज नहीं है, इसलिए जमीन एक्वायर करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

राजस्व मन्त्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) : स्पीकर साहब. बहिन जी को हिदायत की जाए कि वह ऐसी भाषा में बोलें जो शरीफ आदमी की समझ में आ जाए ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : ये राषट्र भाषा में बोल रही हैं और यह सदन की भी भाषा है ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि राज्य में कहीं और भी हस्पताल बनाने की योजना है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि हमारे

कई भवनों पर पहले ही काम चल रहा हैऔर इस साल बजट में उन्हीं के लिए ही व्यवस्था की गई है जिनका काम पहले से चल रहा है । इसके अलावा कुछ हमारे प्राइमरी है एथसैन्टर्ज हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो चुकी है ।

श्री धज्जा राम : अभी–अभी मिनिस्टर साहिबा ने बतायाकि वह प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की बिल्डिग नई थी । तो वह जो 25 बैड का हस्पताल है, उसमें कितने कमरे हैं? इसके अलावा लास्ट इयर सरदार हरपाल सिंह जी ने कहा था कि सफीदों में एक 25 बैड का हस्पताल बनाने जा रहे हैं तो इनमें से कौन सी बात सच्च है?

श्रीमती शारदा रानी : लास्ट इयर वाली भी बात सच्च है, क्योकि पहले वहां प्राइमरी हैल्थ सैन्टर था । प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में 8 बिस्तर होते हैं और थोड़ा सा स्टाफ होता है और 25 बिस्तरों के हस्पताल में 25 बिस्तरों की गुंजाइश होती हए, वहां पर स्टाफ भी ज्यादा होता है और फैसिलिटीज भी ज्यादा होती हैं । तो वहां पर पहले ही 25 बिस्तरों का हस्पताल बनाया जा चुका हए । प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की बिल्डिग को हस्पताल के लिए इस्तेमाल किया गया । इसके अलावा 1,23, 600 रुपए लगाकर उस बिल्डिग में मोडीफिकेशन की गई है और रैडीडैंशियल क्वार्टर्ज भी बनाए गए हैं । वहां पर इस समय और आवश्यकता नहीं है । अभी हमारे बहुत से हस्पताल ऐसे हैं, जिनकी हालत बड़ी खराब है, पहले उनको देख करके फिर इस तरफ विचार किया जा सकता है

।

चौधरी अमीर चन्द कक्कड़ : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि अगर किसी गांव वाले एक लाख रुपया और 10 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हों, तो क्या वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोलने की कोशिश करेंगे?

श्रीमती शारदा रानी : जी नहीं ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि दूसरे सब–डिवीजनों पर या तहसील हैडक्वार्टर्ज पर, जो नार्म गवर्नमैंट ने अपनाया है, अगर वह पूरा हो तो क्या वहां हस्पताल बनाने की तजवीज है जैसे बवानी खेडा है, तो वहां पर कितने बैड का हस्पताल होगा?

श्रीमती शारदा रानी : बवानी खेड़ा में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर बनाएंगे ।

चौधरी रिजक राम : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि जिस तरह से भिवानी के जिला हैडक्वार्टर पर पांच सौ बैड का हस्पताल बन रहा है, तो क्या उसी प्रकार का किसी और जिला हैडक्वार्टर पर भी बनाने का विचार है ।

श्रीमती शारदा रानी : जी नहीं ।

श्री के० एन० गुलाटी : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि फरीदाबाद और बल्लभगढ के दरमियान 8 सैक्टर में जो पांच सौ

बैड का हस्पताल बनाने की योजना है उसकी लेटैस्ट पोजीशन क्या है?

श्रीमती शारदा रानी : अभी तो वह मामला अन्डर कंसिड्रेशन है । जब पैसा होगा तो उसको बनाने की सोचेंगे ।

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि जिला महेन्द्रगढ़ के अन्दर और प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज खोलने की कोई तजवीज है और अगर है तो कितने और कहां–कहां?

श्रीमती शारदा रानी : कोई नहीं ।

श्री प्रेम सुख दास : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि सिरसा नया किला बना है और वहां पर सौ बैड का हस्पताल है, बिल्डिग के लिए जगह ले ली गई है तो उसे बनाने पर विचार करेंगी?

श्रीमती शारदा रानी : विचार तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है ।

दीवान हंस राज सूरी : क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि अम्बाला जिला हैडक्वार्टर पर जोसिविल हस्पताल है, उसकी हालत बहुत खराब है तो कब तक वहांपर नया सिविल हस्पताल बन जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : यह प्रश्न जो था, यह सफीदों के बारे में था । इसलिए इसके बारे में सैप्रेट नोटिस दें, बता देंगे ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि जो हस्पताल पहले बने हुए हैं. उनमें दवाइयां नहीं हैं, तो क्या वहां पर दवाइयां भेजने का प्रबन्ध करेंगी?

श्रीमती शारदा रानी : जहां–जहां हस्पताल हैं वहां पर दवाइयां भेजने का पूरा प्रबन्ध किया हुआ है ।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकि : क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि हसनपुर की डिस्पेंसरी जो टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है और न वहां कोई क्वार्टर वगैरह ही वने हुए हैं, स्कूल बनाने का यत्न करेंगी?

श्रीमती शारदा रानी : हसनपुर में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर हए और उसकी दशा मुझे मालूम है कि खराब है और उसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ।

श्रीमती लेखवती जैन : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी जैसे कि दीवान हंस राज मुरी ने भी पूछा है कि अम्बाला सिटी के हस्पताल की बिल्डिग कब तक बनेगी और उसे बनाने की कोई प्रपोजल है भी या नहीं और जव छोटी–छोटी जगहों पर इतने बड़े–बड़े हस्पताल बना रहे हैं तो अम्बाला जो जिला हैडक्वार्टर है वहां भी बनाने की कृपा दृष्टि करेगी?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला के बारे मैं हमें मालूम है कि हस्पताल सफिशैंट नहीं है, लेकिन हमारे पास फण्डज नहीं हैं, इसलिए उसी विन्डिग को रिपेयर करके वह काफी

अच्छी दशा में है, अभी उस में काम चला लेंगे । कुछ समय के बाद नया हस्पताल बनाने पर विचार किया जाएगा ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदया बतायेगी कि चारों तरफ से हस्पतालों की मांग बडती जा रही है तो बजाय इसके कि ज्यादा हस्पताल बनाने पड़े सैनीटेशन का प्रबन्ध कर दें तो यह मांग कम हौ जाएगी?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय हम तो सैनीटेशन का पूरा प्रबन्ध करते हैं. लेकिन लोग गन्दगी फेंकते फेंकते नहीं हारते ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि बैकवर्ड इलाकों में जहां कोई हस्पताल नहीं है, वही छोटी–छोटी डिस्पैसरियां आयुर्वेदिक की खोलने का विचार है?

श्रीमती शारदा रानी : आयुर्वेदिक की इतनी अधिक खोलने काविचार नहीं है, लेकिन ऐलोपैथी की डिस्पैंसरीज खोलने का विचार है कि हर साल 10 खोल सकें । इस साल में भी 10 खोली हैं और अगरने साल में भी 10 खोलने का इरादा है ।

श्रीमती लेखवती जैन : मन्त्री महोदया के नोटिस में और नाजेज मैं मैं यह लाना चाहती हूं कि अम्बाला का जो हस्पताल है वह अच्छी कन्डीशन में नहीं है मौर वहां पर बड़े हस्पताल की जरूरत है और

Mr. Speaker : Order please. You are supplying information. This is not a supplementary.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि पिपली जो जी०टी० रोड पर है वहां जो डिस्पेंसरी है उसकी न कोई बिल्डिंग है न डाक्टर के लिए क्वार्टर हैं और वह पंचायत समिति की दुकान में है और वहां पर फारनर्क आते हैं, ट्रिस्टस भी आते हैं तो उसके बनाने के बारे में कोई तजवीज है?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : जैसे गर्ग साहब ने अपने गांव लाडवा के अन्दर हस्पताल में लोगों से डोनेप्रान्ज ले लेकर कई कमरे और वार्डज ऐड किए हैं, अगर वैसे ही वही बात पिपली में भी लागू करवा दें तो इनका भी काम बन जाए और सरकार के बजट पर बोझ भी न पड़े' । –– (हंसी) ––

श्री के०एन० गुलाटी : स्पीकर साहब, होम्योपैथी का इलाज बहुत सस्ता और इफैक्टिव होता है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि होम्योपैथिक डिस्पैसरिया खोल दी जाएं?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, गुलाटी साहब ने भी फरीदाबाद में हुक संस्था की ओर से कई होम्योपैथिक डिस्पैसंरियां खुलवाई हैं तो वह उसका दायरा और विस्तृत करवा कर ऐसी डिम्पैंसरियां स्टेट में और जगहों पर भी खुलवा दें ।

दीवान हंसराज सूरी : वजीर साहिबा ने फरमाया था कि अम्बाला के हस्पताल की कन्डीशन टीक है. लेकिन मैं इनमें प्रार्थना करुंगा कि वह वहां पर सरप्राइज विजिट करके देखें और एक रात वहां पर काट कर खें औरफिर बताएं?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब मैंने कई बार सरप्राइज विजिट किया है तब ही बताया है ।

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह) : स्पीकर साहब, एक बात मैं सदन में बता देना चाहता हूं कि बड़े हस्पताल जो हम बनाने की बात करते हैं इन पर खर्च बहुत बढ़ गया है, 50 बैड के हस्पताल पर पहले 40 लाख रुपया खर्च आता था फिर 45 लाख लगने लग गया और अब जो नया एस्टीमेट है, उसके मुताबिक पचास साठ लाख रुपया खर्च. होगा । इसलिए पास्टी आफ फंडज को देखते हुए हम सोच रहे हैं, देहात की' तरफ ज्यादा ध्यान दें गांव में डोर स्टैप्स पर लोगों को मैडीकल फेसिलिटीज मिल जाएं । इन भव बातों को देखते हुए आईदा जो प्रोग्राम हए, उनके मुताबिक देहात की तरफ ज्यादा ध्यान होगा और जैसे कि हमारी प्रधान मन्त्री जी का आदेश है., उस–हें मुताबिक पथ. बनाया गया है मूख्य मन्त्री जी से वह डिस्कस हो चुका है अरि उन्होने उसकी एप्रबल दे दी है । उससे हम दिहात में बैटर मैडीकल सर्विस दम ।

चौधरी पीर चन्दः जैसा कि हामी फरमाया गया है कि

देहात में ज्यादा मैडीकल फैसिलिटीज देंगे तो क्या बरवाला में जो औडेंस्पैसंरी है उसे 25 बैड का हस्पताल बनाने की कृपा करेंगे.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि बड़ी–बड़ी बिल्डिग्ज का बनाना छोड़कर छोटी–छोटी बिल्डिग्ज में ही वे फैसिलिटीज देने की कृपा करेंगी?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, चौधरी पीर चन्द के सवाल का जवाब यह है कि देहात में फैसिलिटीज देने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्पैसंरीज ऐसी हों, जो छोटे–छोटे यूनिट्स हों, जिनको हम अफोर्ड कर सकते हों । लेकिन वह उस डिस्पैसरी को बड़े हस्पताल में बदनने की बात कर रहे हैं और 25 बैड के हस्पताल के लिए तो वही बात है जैसे पहले बताया गया है । गर्ग साहब के सवाल काजवाब यह है कि छोटे–छोटे यूनिस्स बनाकर ही हैल्थ सर्विसिज फैलाना चाहते हैं ।

श्री धज्जा राम : अभी यहां पर बताया गया है कि इस साल 10 डिस्पैसरीज खोली हैं तो क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी किवे कहां–कहां पर खोली हैंऔर अगले साल जो खोलनी हैं वे कहां–कहां पर खोली जाएंगीं और मवाना गांव जो उनकी बिरादरी का ही हए 11 हजार की उसकी आबादी है अगर गांव वाले बिल्डिग बनाकर दे दें तो क्या वहां पर डिस्पैसरी बनाने पर गौर करेंगे?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, यह 'जो सवाल

पूछा गया था यह सफीदों हम्पताल के बारे में था डिस्पैसंरीज के बारे में सैप्रेट नोटिस दें तो सब कुछ बता देंगे कि कहां– कहां खोली हैं और खोलनी हैं । यह ठीक है कि अगले साल 10 खुलनी हैं लेकिन इस बारे में अभी तक फैसला नहीं किया गया है कि कहां–कहां खुलनी हैं । एक बात धज्जा राम जी ने बिरादरी की कही तो मैं कहना चाहती हूं कि डिस्पैसरीज बिरादरी के आधार पर नहीं दी जाती हैं, इसके लिए क्राइटेरिया दूसरा है और उसके मुताबिक डिस्पैसंरी का भवन बनाकर दे दें और वहां पांच सात मील तक कोई मैडीकल इंस्टीच्यूशन दवाइयां देने वाली नहीं होनी चाहिए तो न सिर्फ कन्सीडर करेंगे बल्कि डिस्पैसरी दे देंगे ।

श्री प्रेम सुख दास : क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि देसू जोधा और गोरी वाला में जहां पर लोगों ने पांच–पांच लाख लगाया हुआ है और क्वार्टर्ज वगैरह बनाए हुए हैं, वहां पर हस्पताल बनाने की कृपा करेंगे?

श्रीमती शारदा रानी : जो दूसरी कन्डीशन्ज हैं, उनको हम देख लेंगे लेकिन ऐसी जगहों पर, अध्यक्ष महोदय, हम अवश्य दे देंगे ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : स्पीकर साहब अम्बाला होस्पिटल के बारे में मन्त्री महोदया ने बताया है कि उसकी दशा ठीक है, लेकिन पहले मुख्य मन्त्री ने इसकी हालत को देखा था और कहा था कि दशा ठीक नहीं है और फैसला किया था कि

इसके लिए जमीन एक्वायर करके दी जाएगी, ताकि बिल्डिग बना. दी जाए । मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि लैड एक्वीजीशन का क्या तरीका है और यह किस स्टेज पर है?

श्रीमती शारदा रानो : अभी किसी स्टेज पर नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने कहा था, उसके बाद होस्पिटल में बहुत सारा रुपया लगाकर उसकी कन्डीशन को काफी अच्छा कर दिया गया है ।

Cafetaria/Canteens of Haryana Roadways

***1589. Chaudhri Phul Singh Kataria** Will the Minister for Transport be pleased to state the total number of Cafetaria/Canteens of the Haryana Roadways which are functioning in the State as at present together with the number of those which are running in loss and in profit, separately ?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : इस समय राज्य परिवहन विभाग की ओर से तीन रेस्तरां/कैन्टीन्ज हरियाणा में चल रही हैं । दो रेस्तरां कैन्टीन्ज इस समय लाभ में चल रहे हैं और एक हानि में चल रहा है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि कौन से कैफीटेरिया लौस में चल रहे हैं और कौन से प्रोफिट में चल रहे हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी स्पीकर साहब अम्बाला और करनाल

के लाभ में चल रहे हैं, लेकिन पानीपत वाला थोड़ा सा घाटे में चरन रहा है और इस साल के अन्त तक हमें उम्मीद है कि उसमें घाटा नहीं रहेगा ।

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि 1974–75 और 1975–76 में अम्बाला और करनाल में कितना–कितना प्रौफिट हुआ है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अम्बाला कें कैफीटेरिये में 1974–75 में 28, 790 रुपए का लाभ हुआ है और 1975– 76 में 31–12– 1975 तक 30, 01 5 रुपए का लाभ हुआ है । इसी तरह करनाल वाले में 1974– 75 में 33, 349 रुपए और 1975– 78 में 31– 12– 75 तक 687 रुपए लाभ हुआ है ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या आनरेबल मिनिस्टर बताएंगी कि प्रौफिट की जो फिगर उन्होंनें दी है, क्या उसमें डैप्रीशिएशन और स्टाफ का खर्चा भी शामिल है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : सारा खर्चा निकालने के बाद ही लाभ होता है।

चौधरी मेहर चन्द : मैंने तो डैफिनिट क्वैश्चन पूछा था क डैप्रीशिएशन और स्टाफ के खर्चे को अकाउन्ट कर किया जाता है या नहीं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय बताएंगी कि जो कैन्टीन रन कर रही हैं, उनमें सर्विस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : हमारे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं है कि कैन्टीनों में सर्विस की कोई दिक्कत हो । अगर आनरेबल मैंबर कोई चीज नोटिस में लाएंगे तो जरूर देख लेंगे ।

मलिक सत राम दास बत्तरा : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी किरोडवेज के कैफीटेरियाज और टूरिजम. डिपार्टमैंट के कैफिटेरियाज में बिकने वाली चीजों के भाव में फर्क है अगर है तो कितना फर्क है.

श्रीमती प्रसन्नी देवीः टूरिजम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है । आनरेबल मैंबर किस चीज का भाव पूछना चाहते हैं, वह बता दें ।

श्री अमर सिंह : पानीपत में जो घाटा बताया गया है, क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि उस घाटे का क्या कारण है? क्या वह मैनेजमैंट की वजह से है या कोई और कारण है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : मैनेजमैंट वाली बात नहीं है । कई बार ऐसा होता है कि बिक्री में बाधा पड़ती है, कोई खास कारण नहीं है । ये हम एक्सपैरिमैंटल तौर पर चला रहे हैं । किसी महीने में कम बिक्री हुई, किसी में ज्यादा हुई, ऐसे चलता रहता है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि रोहतक बस–स्टैण्ड. पर कब कैन्टीन शुरू करेंगे?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : जैसा कि मैंने बताया तीन जगहों पर तजरुबे के तौर पर चला रहे हैं । रोहतक में वर्कर्ज की तरफ से एक चाय की कैन्टीन और एक एक्स–सर्विसमैन की तरफ से छोटी कैन्टीन चल रही हैं ।

श्री के० एन० गुलाटी : अगर सरकार फरीदाबाद और बल्लभगढ में कैन्टीन खोले., तो बहुत प्रौफिट होगा । क्या मन्त्री महोदया फरीदाबाद ओल्ड और बल्लभगढ में कैन्टीन खोलने पर विचार करेगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया था कि अभी हम तजरुबे के तौर पर कर रहे हैं । बन्लभगढ छोटी जगह है, अगर वहां पर जरूरत होगी, तो विचार कर लेंगे ।

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि करनाल में कई ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, जिन पर लिखा है ''नो प्रोफिट नो लोस'' अगर ऐसा लिखा है, तो इनका क्या मतलब है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: वर्कर्ज की तरफ से भी एक अलग कैन्टीन चल रही' हए जो ''नो प्रॉफिट नो लॉस'' पर चल रही है और यह वर्कर्ज के फण्ड से चल रही है ।

चौधरी पीर चन्द : मन्त्री महोदया ने बताया कि बड़ी जगहों पर कैन्टीन खोलने के लिए तैयार हैं । हिसार एक बहुत बड़ी जगह है, काफी बड़ा जिला है और वहां पर कमिश्नरी बन गई है । क्या मन्त्री महोदया वहां पर कैन्टीन खोलने की कृपा करेंगी

श्रीमती प्रसन्नी देबी : स्पीकर साहब, मैं हाउस के आनरेबल मैम्बर्ज के नोटिस में लाना चाहती हूं कि वैसे हर एक डिपो, सब–डिपो और बस स्टैण्ड पर दुकानदारों को दुकानें ठेके पर दी जाती हैं । हिसार में वर्कर्ज की तरफ से भी एक कैन्टीन चल रही है ।

चौधरी मेहर चन्द : मन्त्री महोदया ने बताया कि तजरुबा कर रहे हैं । क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि तजरुबे की क्या प्याद मुकरर्र है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, तजरुबे की कोई म्याद नहीं होती ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि इन कैफीटेरियाज में बिकने वाली चीजों के सैपंल भी लिए जाते हैं? क्या कोई चौकिंग होती है कि चीजें ठीक हालत में और ठीक दाम पर दी जाएं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी :. हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाई हुई है, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, जनरल

मैनेजर कनवीनर होता है और एक मैडीकल आफिसर मैंबर होता है । इनके अलावा एक मैंबर जनता का नुमाइंदा होता है, डी०सी० जिसको चाहे नोमीनेट कर लेता है । यह कमेटी चौकिंग करती है कि चीजें ठीक मिल रही हैं, ठीक भाव पर मिल रही हैं या नहीं । यह काम कमेटी का है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि इस कमेटी ने कभी कोई रेड भी किया है, क्या कोई चौकिंग की है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : यह कमेटी 5– 12– 1975 को बनी थी, इसी तारीख से इसने काम करना शुरू किया है । अगर रेड करने की जरूरत पड़ी, तो रेड भी करेगी ।

दीवान हंस राज सूरी : स्पीकर साहब, कैन्टीन के बाहर तो बड़ी चमक दमक होती है, लेकिन अन्दर गन्दगी होती है । क्या मन्त्री महोदया उसको साफ करवाने पर विचार करेंगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, रसोई में काम करते वक्त सब्जी के छिलके गिरते रहते हैं । अगर मैंबर साहब ने रसोई देखी है, तो हम उनको कह देंगे कि साफ रखा करें ।

श्री धज्जा राम : मन्त्री महोदया ने पानीपत, करनाल और अम्बाले में चल रही कैन्टीनों का प्रौफिट बताया है । क्या इस प्रौफिट में बिल्डिंग की इन्वैस्टमैंट पर जो इंट्रैस्ट पड़ता है, वह इसमें इनक्लूड किया है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: बिल्डिग का इसमें आता ही नहीं । बस–स्टैण्ड और सब–डिपो की बिल्डिग में ही ये कैन्टीने चलती हैं ।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : स्पीकर साहब, मेरा एक क्वैश्चन रह गया है । अगर इजाजत होतो उसको पूछ लूं, क्योंकि अभी समय तो रहता है ।

Mr. Speaker : I have already said that the Question Hour is over.

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Co-operative Sugar Mills at Karnal

***1419. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) the latest position of construction of building for the Co-operative Sugar Mills at Kamal and the installation of machinery together with the total amount spent thereon so far, separately; and

(b) the expected date of completion of the Mills referred to in part (a) above and the tine by which it is likely to start functioning ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :

(क) पार्ट । कथन सदन की मेज पर रखा जाता है

।

पार्ट ।। कुल खर्चा रुपए 179. 50 लाख ।

(ख) पार्ट । अक्तूबर, 1976 के अन्त तक ।

पार्ट ।। नवम्बर, 1976 के अन्त तक ।

स्टेटमैंट

(1) जनरल स्टोर	एसी. शीटिंग, जमीन के नीचे चू ना और पलस्तर का कार्य पूर्ण हो गया है । खिडकियां और रोशनदान लग गए है ।
(2) वर्कशाप	एसी. शीटिंग और पलस्तर का कार्य पूर्ण हो गया है तथा खिड़कियों लग गई हैं । जमीन के नीचे चूना तथा बजरी का कार्य चल रहाहै ।
(3) चीनी गोदाम	चना–बजरी तथा शीटिंग पलस्तर का कार्य पूर्ण हो गया है।
(4) मुख्य फैक्ट्री बिल्डिग	नींव इत्यादि का कार्य लगभग पूणं हो गया है बवायलर हाउस और मिल हाउस में स्टील इत्यादि का कार्य पूर्ण हो गया है । पोरटल कालम, बवायलिंग हाउस और बोरी इत्यादि रखने का स्थान पूर्ण हो चुका है ।
(5) मशीनरी, पुर्जे	(1) गन्ना उठाने की मशीन, काटने. और जमीन

इत्यादि की आधारशिला	को बराबर करने, दीवारों इत्यादि का कार्य पूर्ण हो गया है और गन्नाकाटने का कार्य जारी है ।
(6) स्प्रे पौंड	(2) मिल की बुनियादी 100 लैवल गेयर की तरफ और 4000 मिल की तरफ पूर्ण हो गई है ।
	(3) बवॉयलर की बुनियाद 2 नम्बर तक पूर्ण हो गई है ।
	(4) क्लैरीफिकेशन हाउस इत्यादि का कार्य पूर्ण हो गया है ।
	(5) चिमनी का कार्य पूर्ण हो गया है ।
	(6) पावर हाउस +0.00 लैवल तक पूर्ण हो गया है ।
	(7) बवायलिग हाउस का कार्य 80 प्रतिशत स्टेजिंग कालम तक पूर्ण हो गया है ।
	(8) दीवारों की ईटों का कार्य पूर्ण हो गया है । जमीन के नीचे चूने आदि का कार्य प्रगति में है ।

Government Live Stock Farm, Hissar

***1457. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether any land belonging to

Government Live Stock Farm, Hissar was transferred to the Land Development and Seed Corporation (an undertaking of Government) during the period from 196566 to 1970-71 ; if so, the total acreage of land so transferred ?

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital) : Yes. A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Sr. No.	Year	Total Area		
		Acre	Kanal	Marla
1.	1965-66	763	13	—
		2493	8	-
2.	1966-67	4947	3	18
3.	1967-68	4567	4	5
4.	1968-69	4567	4	5
5.	1969-70	2591	3	5
6.	1970-71	2591	3	5

Fruit Processing Unit at Murthal

***1539. Shri Om Parkash Garg :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the date on which the Fruit Processing Unit

was set up at Murthal;

(b) the quantity of fruit Juice, Jams and Keth-chup produced by the factory so far;

(c) the quantity of material which was purchased for the production of above said items togetherwith the price thereof;

(d) the amount of the sale proceeds and quantity and the value of the stock in hand as at present;

(e) whether the Unit is running in profit or loss; and

(f) the names of the Agencies through which the said items are being sold ?

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) :

(a) 29th May, 1975.

(b) 1,75,150 bottles of mango juice only upto 31-12-75.

(c) Statement-I is laid on the Table of the House..

(d) (i) Rs. 1,19,496.37; upto 31st December, 1975.

(ii) Statement-II is laid on the Table of the House.

(e) In loss.

(f)

(1) Farmers Service Centres of the Corporation.

(2) Marketing Office of the Corporation in New Delhi.

(3) Tourist complexes of Haryana Tourism Corporation.

(4) Government canteens.

(5) Emporia.

(6) Petty dealers/Retail outlets.

STATEMENT-I

(A) Raw Materials:

Sr. No.	Particulars	Quantity purchased	Value
1.	Mango alphanso pulp	7040 tins	Rs. 1,18,891.08
2.	Ratna maneo pulp	240 tins	Rs. 2,278.76
3.	Mangoes	82.02 tons	Rs. 2,68,604.15
4.	Orange concentrate	614 tins	Rs. 44,031.37
5.	Empty bottles	2,65,488 nos.	Rs. 2,56,389.21
6.	Wooden crates	7.629 nos.	Rs. 30,108.94
7.	Crown corks	1,509 gross	Rs. 20,450.05
8.	Peaches	382 crates	Rs. 6,389.50

9.	Sugar	4 tons	Rs.	18,086.60
10.	Pine-apple juice	5 tins	Rs.	30.63
11.	Litchi pulp	449 bottles	Rs.	5,243.80
12.	Apricot	43 kg.	Rs.	129.00
B.	Chemicals			
1.	Citric acid	54.5 kg.	Rs.	2,142.69
2 .	Sodium Benzoate	60.9 kg.	Rs,	3,549.90
3 .	Caustic Soda	237.150 kg.	Rs.	885.25
4 .	Ascorbic Acid	19.700 kg.	Rs.	4,110.75

STATEMENT-II

(A) Finished goods

Sr. No.	Particulars	Quantity	Value
	Mango beverage	8,154 bottles	Rs. 5,235.51

(B) Raw materials :

1 .	Alphanso mango pulp	4,323 tins	Rs. 72,972.24
2 .	Ratana Mango pulp	240 tins	Rs. 2,278.76
3 .	Orange concentrate	605 tins	Rs. 43,385.9

4 .	Empty bottles		
B.	New : 80.000 Old returned : 53,000 j	1,33,000 nos.	Rs. 1,25,690.00
5 .	Crown corks	450 gross	Rs. 6,093.00
6 .	Sugar	32 kg.	Rs. 1,45.49
7 .	Mango pulp	26.868 tins	Rs. 2,5g,394.40
8.	Litchi pulp	449 bottles	Rs. 5,243.80
9.	Peaches pulp	175 kg.	Rs. 6,389.50
10.	Wooden crates	2960 nos.	Rs 11,662.40
11.	Apricot pulp	25 tins	Rs. 182.25
(C)	Chemicals :		
1 .	Citric acid	3.5 kg.	Rs. 116.48
2 .	Sodium Benzoate	43.150 kg.	Rs. 2,491.90
3 .	Caustic soda	14.00 kg.	Rs. 49.00

Rs.

Recognition of Darbhanga University's B.Ed. Qualification

***1590. Chaudhri Phool Chand (Rohat) :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Darbhanga (Bihar) University's B.Ed. qualification has been recognised by the State Government; and

(b) if so, the number of JBT Teachers already employed and have been promoted as B.Ed. Teachers on the basis of the Darbhanga University's B.Ed. qualification ?

शिक्षा मन्त्री (श्री माडू सिंह मलिक):

(ए) जी हां, वर्ष 1970– 71 तक की परीक्षा के आधार पर दी गई उपाधि ।

(बी) अभी तक शून्य ।

Availability of Jail Manuals

***1420. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the number and names of jails in the State where the Jails Manuals are available in the offices of the Jailors;

(b) the names of the jails where Jails Manuals are not available in the offices of the Jailors together with the

period of their non-availability; and

(c) the action taken by the Government for providing Jail Manuals in the offices of the Jailors where such Manuals are not available ?

परिवहन मन्त्री (श्री के०एन० पोसवाल): अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में सदन के पटल पर रखी जाती है । स्टेटमन्ट (क) 13 जेलें

(1) केन्द्रीय जेल, अम्बाला ।

(2) जिला जेल, हिसार ।

(3) जिला जेल, रोहतक ।

(4) जिला जेल, गुडगावां ।

(5) बच्चा जेल, हिसार ।

(8) उप–जेल, पानीपत ।

(7) उप–जेल, दादरी ।

(8) उप–जेल, सिरसा ।

(9) उप–जेल, पलवल ।

(10) उप–जेल, भिवानी ।

(11) उप–जेल, नारनौल ।

(12) उप–जेल, महेन्द्रगढ़ ।

(13) उप–जेल, जींद ।

(ख) (1) किला–जेल, करनाल गुम है, समय का पता नहीं कि वह कब

(2) उप–जेल, रिवाडी से अनुपल्ध है ।

(3) उप जेल, कैथल

(4) उप–जेल, सोनीपत 7 जनवरी, 1970 से ।

(5) उप–जेल, नरवाना

(ग) जेल मैनुअल में संशोधन हो रहा है । नया संस्करण प्रकाशित करके जितना शीघ्र संभव हो सकेगा, सब को दे दिया जाएगा ।

Procurement of Wheat

***1458. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state the target of procurement of wheat fixed by the Government for the calendar year 1975 together with the quantity of wheat procured to date ?

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (श्री श्याम चन्द) : भारत सरकार ने चालू वर्ष (1975– 78) के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 7 लाख टनी रखा है तथा दिनांक 15– 12– 75 तक 4.

32 लाख टनी गेहूं खरीद किया गया है ।

Residential Plots to Scheduled Castes and Backward Classes

***1540. Shri Om Parkash Garg :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of residential plots given to the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes under the Twenty-point Economic Programme announced by the Prime Minister of India;

(b) the criteria fixed for the allotment of plots under the above said scheme; and

(c) the time by which the plots are likely to be allotted to the remaining persons belonging to Scheduled Castes & Backward Classes ?

राजस्व मन्त्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) :

(क) 1, 48, 859 (हरिजनों को 93, 111 तथा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के लोगों को 50, 748) ।

(ख) 100 वर्ग गज के रिहायशी प्लाट उन हरिजन तथा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए जाते हैं, जिनके पास निजी मकान अथवा रिहायशी प्लाट नहीं है ।

(ग) शेष पाल व्यक्तियों की जरूरत को कुछ ही महीनों में पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

10.00 बजे

Transport Minister (Shri K. L. Poswal): Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of Business fixed for to-day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of Business fixed for to-day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of Business fixed for to-day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Transport Minister (Shri K. L. Poswal) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

The motion was carried.

दी हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डैटिडनैस बिल, 1976

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) ; Sir, I beg to introduce the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker ; Motion moved—

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब इस बिल की डैफिनिशन की क्लाज को अगर देखें तो ऐसा जाहिर होता है कि बहुत ही क्रांति इस बिल के द्वारा लाई जाने की तजवीज है, लेकिन ज्यों ही और आगे इसकी मुख्तलिफ क्लाजिज को देखें तो सारा जो पर्पज है, वह बहुत हद तक खत्म होता नजर आता है ।

स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने कुछ दिन हुए इस सदन में ऐलान किया था कि कर्जाजात, जिन के बारे में पहले ऐक्ट पास किया गया है, खत्म कर दिए जाएंगे । ऐसा मालूम देता है कि मुख्य मन्त्री जी ज्यादा काम होने के कारण, इस बिल को पूरी तरह देख नहीं पाए और मन्त्री महोदय ने भी इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया । परिणाम यह हुआ कि कर्जे खत्म करने वाली जो बात थी वह बिल्कुल नजदीक नहीं रही । स्पीकर साहब, इसमें डैट को डिफाईन किया है । उसमें ये कहते हैं कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रैडिट शामिल हैं । इससे ऐसा जाहिर होता है कि बहुत ही ड्रास्टिक मैयर्ज ये ले रहे हैं । डैटर की जहां तक डैफिनिशन है उसमें ऐग्रीकल्चरल लेबरर को डिफाइन किया, मार्जिनल फार्मर को डिफाइन किया, रूरल आर्टिकन को डिफाइन किया और स्माल फार्मर को डिफाइन किया । इसमें आप देखें कि मार्जिनल फार्मर इन्होंने रखा एक हैक्टेयर जिसकी अनइरीगेटिड जमीन है और स्माल फार्मर वह है जिसकी दो हैक्टेयर अनइरीगेटिड लैण्ड है । फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि एक हैक्टेयर वह जमीन जिसमें 12 महीने पानी लगता हो, पैरीनियल वाटर सप्लाई से जो इरीगेटिड हो उसका एक हैक्टेयर तीन बारानी हैक्टेयर के बराबर होता है । इसका मतलब यह हुआ कि जिस किसान के पास इतनी जमीन है, एक हैक्टेयर नहरी जमीन है, वह इससे फायदा नहीं उठा सकता । इसके अलावा इसके मायने यह हैं कि जो मार्जिनल और स्माल फार्मर की अब तक डैफिनिशन थी क्रैडिट के लिए जिसके तहत मुफाल या दूसरी एजैन्सीज से इमदाद

होती थी, उसको छोड़कर नई डैफिनिशन इसमें लाने की कोशिश की है । यहां पर तो अढ़ाई एकड़ तक की जमीन का जो फार्मर है वह इसका फायदा नहीं उठा सकता आधे या आधे से ज्यादा हैक्टेयर काजो मालिक है उसको इसका फायदा पहुंचेगा । आगे चलकर इसमें एक और बात कही गई है जिसको खास तौर पर मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । इन्होंने ऐग्रीकल्चरल लेबरर्ज के बारे में पहले कहाकि उनके कर्जों की माफी देंगे, उनके खिलाफ डिग्री नहीं हो सकती लेकिन क्लाज पांच के (ए) में बहुत सी शरायत इंट्रोडयूस कर दीं । कहा गया है –

"5. (a) Every debt, together with any interest payable thereon, owned on the commencement of this Act by an agricultural labourer, a rural artisan, or a marginal farmer, whose annual house-hold income does not exceed two thousand and four hundred rupees, shall be deemed to be wholly discharged ."

यानी ऐग्रीकल्चरल लेबररसिर्फ वह जिसकी हाउस होल्ड इन्कम, सारे कुनबे की आमदन, 2400 रुपए से कम है । अगर उसकी इन्कम 2400 रुपए से कम है तब तो वह डिस्चार्ज होगा वरना नहीं । अगर उसकी इन्कम 2400 रुपए से ज्यादा होगी तो वह इस एक्ट का फायदा नहीं उठा सकता । अब इसमें इन्होंने दो झगड़े पैदा कर दिए । इससे एक तो मजदूरों के लिए बड़ी परेशानी होगी दूसरे लिटिगेशन को इन्होंने बड़ा पेचीदा बना दिया । अव्वल तो हाउस होल्ड की डैफिनिशन इन्होंने नहीं दी । उसमें

कौन–कौन शामिल हो, लड़का, लड़की, मां और बाप, यह डिफाइन नहीं किया । इस बात पर काफी झगड़ा रहेगा । आज थोड़े से ऐसे घर हैं जिनमें दो सौ रुपए महीने की आमदन नहो । किसको फायदा पहुंचेगा, किसको नहीं, यह महज ऐसी बात है जो प्रोपेगन्डा के लिए है । फिर इसमें कितनी लिटिगेशन प्रोलौंग होगी, इसका भी कोई हिसाब नहीं । लोग कहेंगे कि मेरी आमदन 2400 रुपए से कम है, दूसरी तरफ से सबूत आएगा कि 2400 रुपए से ज्यादा है । इन्होंने शरायत शुरू में ऐसी दिखाई जैसे सबके कर्जे ये माफ करने लग रहे हैं लेकिन यहां हाउस होल्ड की इन्कम 2400 रुपए रख दी । इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ज्यादा लिटिगेशन में इनवोल्व करना चाहते हैं और फायदा शायद कोई ही उठा सके । स्वीपर क्लास के एक लड़के को भी अगर. म्युनिसिपल कमेटी में नौकरी मिल जाए तो दो अढाई सौ रुपए महीने के उसे मिलते हैं । इससे यह होगा कि वह सारी की सारी फैमिली इस ऐक्ट का फायदा नहीं उठा सकेगी । यह समझ नहीं आता कि ये कैसे एक आदमी की फैमिली की आमदन का अन्दाजा लगाएंगे? लोग कहीं फसलों की कटाई का काम करते हैं, निलाई का काम करते हैं, सड्कों पर काम करते हैं और कहीं ठेकेदारों आदि के पास काम करते हैं । इससे तो मैं यह कह सकता हूं कि देखने के लिए तो इन्होंने यह कर दिया है कि कर्जा माफ करेंगे लेकिन असल में उन लोगों को ये मुकद्दमाबाजी में फंसा रहे हैं । इस बिल की अगली क्लाज भी इसी तरह से है –

"5. (b) Every debt owned to any person by an agricultural labourer, a rural artisan or a marginal farmer, whose annual household income exceeds two thousand and four hundred rupees and a small farmer shall be deemed to be wholly discharged if—

(i) he, had in the discharge of his debt, paid a sum exceeding or equivalent to double the amount of the debt at any time before the commencement of this Act;

(ii) he, in the discharge of his debt, pays, after the commencement of this Act, a sum which, together with any sum already paid in the discharge of such debt, is equivalent to double the amount of the debt ."

चलो, यह तो एक अच्छी क्लाज है क्योंकि इसमें इन्होंने यह कर दिया कि जितना कर्जा लिया हैरू उससे दुगुना अगर दे दिया हो सूद मिलाकर तो वह डिस्चार्ज हो जाएगा लेकिन आमदन वाली क्लाज जो साथ लिख दी उससे फायदा उठाना बड़ा मुश्किल है ।

इसके बाद, इन्होंने आगे कहा है ––

"**5.** (c) Every property pledged or mortgaged by a debtor whose debt is deemed to be discharged under clause (a) or clause (b), shall stand released in his favour when such debt is deemed to be discharged a nd the creditor shall, if he is in possession thereof, return the same to the debtor forthwith."

यह भी कुछ ठीक है लेकिन बीच में हाउस–होल्ड की

आमदन जो 2400 रुपए रख दी इसकी वजह से मेरा अन्दाजा यह है कि जो आपका पर्पज है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह पूरा नहीं हो पाएगा और इसका पूरा फायदा लोगों को आप दे नहीं पाएंगे । अगर आपने यह करना ही था तो साफ तौर पर करना चाहिए था । मार्जिनल फार्मर और स्माल फार्मर्ज की जोडैफिनिशन थी मफाल या दूसरी एजेंसीज से मदद लेने के लिए, उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी । अगर आपका इरादा उनको फायदा पहुंचाने का है कि एक एकड या आधा एकड़ वाला किसान जिसके पास कुआं है या नहर से आबपाशी करता है उसके कर्जे के बारे में आप कैसे तसल्ली करेंगे कि उसकी आमदनी साल भर की 2400 रुपया है? इसका मतलब यह है कि आप किसी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते । ये शर्तें बदलने की आवश्यकता है । इनडैटिडनैस के बारे में आपने छरू फीसदी सूद की शर्त रखी है कि कोई भी छरू फीसदी से ज्यादा सूद नहीं ले सकेगा, जिस वक्त वह अफसर लगाएंगे, डैट रिलीफ आफिसर, उसके सामने उसका हिसाब होगा । उधर प्राइवेट मनी लैण्डर के लिए आपने छरू फीसदी सूद का रेट फिक्स कर दिया लेकिन सरकार ज्यादा वसूल करती है । छोटे आदमियों के लिए जो अढाई एकड़ से कम के जमींदार हैं, बिसवेदार हैं या खेत मजदूर हैं, उनके लिए जो आपके को–आप्रेटिव लोन्ज हैं, नैशनेलाईजड बैक्स के लोन्ज हैं, उनको छरू फीसदी क्यों नहीं करते हो अलग–अलग रेटस क्यों रखे गए हैं,? जैसे कि सरकार की नीति है और बार– बार एलान भी हो चुका है कि थोड़े सूद पर रुपया देंगे । प्राइवेट मनी लैण्डर

के बारे में तो कहते हैं कि छरू फीसदी से ज्यादा सूद नहीं ले सकेंगे, जितना रुपया असल है उससे दुगुना वसूल नहीं कर सकेंगे । अगर यही बात को–आप्रेटिव सोसाइटीज, नैशनेलाइजड बैंक या सरकार के दूसरे कर्जे हैं उनके लिए कर दी जाए कि जो भी छोटे आदमी हैं, स्माल फारमर्ज हैं, खेत मजदूर हैं, लेबरर्ज हैं, उनसे वसूल नहीं किया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा । असल में आज जो दिक्कत है वह को–आप्रेटिव सोसाइटी के कर्जो की है या नैशनेलाइजड बैंक की है क्योंकि वे 17 परसैन्ट और 18 परसैन्ट तक सूद लेते हैं अगर उनका किसी आदमी के पास 100 रुपया या 200 रुपया कर्जा हो जाता है तो वह उम्र भर उससे नहीं निपट सकता है ।

स्पीकर साहब, एक बात और कह कर मैं खत्म करता हूं कि जो भी छोटे बिस्वेदार हैं, चाहे वे किसी भी बिरादरी से हैं, किसान बिरादरी से हों या किसी दूसरी से, उनको सही रिलीफ देना चाहते हैं तो आपको यह प्रोविजन करना चाहिए कि कर्जे की वसूली के लिए किसी की भी जमीन नीलाम नहीं की जाएगी । आज ऐसे हालात हैं. कि जिन लोगों ने टयूब– वैल्ज के लिए, टैरक्टर के लिए या दूसरे काम के लिए कर्जा लिया है उनकी फरदात बैकों में रखी हुई हैं । आज भाव गिरने की वजह से या मंहगाई ज्यादा होने की वजह से वे अपने कर्जे अदा नहीं कर सकते । आज इन कर्जों की वजह से कितने ही किसान हद से ज्यादा परेशान है । उनको कर्जे की अदायगी करनी मुश्किल हो

रही है । आप इस बात को महसूस करेंगे कि कर्जा लोगों के जिम्मे बहुत ज्यादा है । अगर आप उन लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, तो उनके जो कमाई के साधन हैं उनको खत्म न करें, चाहे वे जमीन के हैं या दूसरे हैं, क्योंकि आप स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से और दूसरी इंडस्ट्रीज से दूसरे काम तो दे नहीं पाए । गांवों में जमीन पर ही लोगों का गुजारा है, वही एक उनका जरिया है । अगर कर्जा वसूली के सिलसिले में जमीन नीलाम हो जाए और वे जमीन से भी महरूम हो जाएं तो उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा । पहले एलीनेशन आफ लैण्ड ऐक्ट था उसका कुछ प्रोवीजन था जो कि कुछ डिस्क्रिमीनेटरी ग्राउंडज पर, उसको रद्द कर दिया गया और बाद में कोई डिस्क्रिमीनेटरी क्लाज नहीं रखी । सभी किसानों के लिए, सभी लैण्ड ओनर्ज के लिए, चाहे वे किसी भी बिरादरी से हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, सबके लिए यह कर्जा चाहे बैक का है, चाहे सोसायटी का है, चाहे मनी लैण्डर्ज का है उसकी वसूली के लिए जमीन नीलाम नहीं हो सकेगी । ऐसा करने से उसकी कमाई का साधन बना रहेगा । इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । मुझे तो उनसे उम्मीद कम है कि वे इस बारे में फिर विचार करेंगे, क्योंकि मैं मिनिस्टर महोदय को अच्छी तरह से जानता हूं । जब कोई बात उनके दिमाग में बैठ जाती है उसको उनके दिमाग से निकालना बड़ा मुश्किल है । अगर आप, लोगों को सही तौर से रिलीफ देना चाहते हैं और महज प्रोपेगन्डा नहीं करना चाहते और सलोग्न के लिए यह बिल न लाएं हों तो मैं आशा करता हूं कि वे इसमें

तरमीम लाएंगे ताकि लोगों को सही तौर पर सहूलियत मिल सके ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलत। (बेरी) : स्पीकर साहब, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूं । मेरे जितने भी डिटेल में जाने के प्वांयट थे, वे तकरीबन चौधरी रिजक राम जी ने कवर कर दिए हैं । हाउस के कीमती टाइम को उन प्वांयट को रिपीट करने में जाया नहीं करना चाहता । मैं एक दो बॉड बातें गवर्नमैंट के नोटिस में लाना चाहता हूं । यह एक्ट और दूसरे किस्म के एक्ट जो बीस–सूत्रीय प्रोग्राम के तहत इम्लीमैंट करने चले हैं, उनके बारे में मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इनकी अप्रोच वही है, जो यूनियनिस्ट पार्टी के डेज में यूनियनिस्ट गवर्नमैंट की थी । यूनियनिस्ट गवर्नमैंट ने उस जमाने में बहुत अच्छा काम किया था । उन्होंने जो भी कदम उठाए थे, वे बहुत ही अच्छे उठाए थे लेकिन आज वे कदम फीके पड़ रहे हैं । आज के माहौल में हम बहुत आगे जा चुके हैं । हम मुल्क को सोशलिज्म की तरफ ले जाने में जो हमारे कांस्टीच्यूशन के आदर्श हैं, जो प्रिएम्बल है उसकी तरफ ले जाने में बहुत अच्छा वातावरण क्रिऐट कर चुके हैं । वह प्रिंसिपल इस एक्ट में रिफलैक्ट नहीं होता है । हमें तो ब्लैंकिट प्रिंसिपल लागू करना चाहिए । जैसा कि कामरेड लैनिन ने एक बार कहा था ' कि जमीन सब की अपनी है । एक ही प्रिंसिपल सब के लिए लागू कर दिया था कि आज से सारी जमीन जमींदार की है । आज से सबका कर्जा माफ है । एक दफा हाथ

उठा और ताली बजी कि आज से सारी जमीन नेशन की है, वही प्रिंसिपल वहां पर लागू हो गया । मुझे तो अफसोस है कि जितना प्रोपेगन्डा आज के दिन किया जा रहा है कि हम लैफटिस्ट हैं उतना काम नहीं किया जा रहा है । कांग्रेस पार्टी आज लैफटिस्ट पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी है जिसके थ्रू कोई पोलिटिकल आदमी काम करना चाहे, उसको उसकी तरफ झुकना ही पड़ेगा । उस पार्टी की स्पोर्ट लेनी ही पड़ेगी । यह जो आपने लिमिट रखी है यह तो कुछ भी नहीं है । अढ़ाई सौ रुपए या दो सौ रुपया महीना तो कोई भी आदमी कमा सकता है । 2400 रुपए तो साल की आमदनी हर व्यक्ति की हो सकती है । इतनी आमदनी के बगैर तो वह रोटी खा नहीं सकता । मेरे से पहले भी अर्ज किया गया है कि आप कुनबे की डैफिनिशन कर दें, ताकि किसी प्रकार की कोई लिटिगेशन न हो । ऐसी लिमिट फिक्स कर दें कि जिसकी भी इतनी आमदनी है, जिस पर इन्कम टैक्स नहीं लग सकता हो यानी आठ हजार रुपए साल से कम हो तो उस आदमी के लिए सरकार को आर्डर कर देना चाहिए कि फलां तारीख से उसका जो भी कर्जा है वह खत्म किया जाता है । कोई भी तारीख चाहे 20 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो फिक्स कर दे कि जो भी इन्कम टैक्स नहीं देता है सबका कर्जा माफ होना चाहिए चाहे वह प्राइवेट आदमी का है, चाहे को–आप्रेटिव सोसाइटी का है, चाहे सरकार का है । इतना प्रोपेगन्डा करने के बाद भी आप बलैंकिट प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं करते तो ये सी.पी.आई.एम. या अन्डर ग्राउंड जनसंघ वाले वर्कर्ज यह कहने में हकबाजानीब हैं कि हम अपना

प्रोपेगन्डा करने में माहिर हैं और अमल करने में बोगस हैं ।

दूसरी अर्ज मैं यह करना चाहता हूं कि यूनियनिस्ट पार्टी से पहले भी वकील रहे हैं और इस हाउस में बहुत सारे वकील हैं । मीन्ज आफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखता है, एग्रीकल्चर लेबर से ताल्लुक रखती है और एग्रीकल्चरिस्ट के जो मीन्ज आफ प्रोडक्शन हैं, जो साधन हैं बैल, जमीन और उसका रहने का घर इनको नीलाम नहीं किया जाना चाहिए । एक मोटा सा प्रिंसिपल है चाहे किसी ने को–आप्रेटिव सोसाइटी से कर्जा लिया है या गवर्नमैंट से कर्जा लिया है या किसी प्राइवेट आदमी का है, वह सब पर लागू होना चाहिए ताकि ये चीजें नीलाम न करा सकें । यह क्यों होना चाहिए, क्योंकि यह तो कनजर्वेटिव रिफार्म यूनियनिस्ट पार्टी ने भी किया था । हम तो उससे भी आगे सोशलिजम की तरफ जा चुके हैं इस वक्त अगर किसी जमींदार की जमीन को कर्जे की वजह से को–आप्रेटिव सोसाइटी कुरक कर लेती है या कोई इंस्टीच्यूशन कुरक कर लेता है तो वे रूहें, जिनको रिफार्मिस्ट कह कर हंसने हैं, वे लोग कहेंगे कि ये प्रोग्रैसिव तो बहुत तेज निकले, हमारे वक्त में किसी की जमीन को कोई छू नहीं सकता था लेकिन जो सोशलिज्म लाने का दावा करते हैं और अपने आपको बड़ा प्रोग्रैसिव समझते हैं वे जमीनों कोनीलाम करा रहे हैं । इस बारे में तो ब्लैंकिट प्रोविजन होना चाहिए कि मीन्ज आफ प्रोडक्शन जैसे लैण्ड है, बैल हैं, ट्रैक्टर हैं या दूसरी चीजें हैं वे कर्जे की वजह से नीलाम नहीं हो सकेंगीं ।

उनको कोई भी नहीं ले सकेगा । मैं इन दो ब्रौड प्रिसिपल्ज की तरफ गवर्नमैंट की तवज्जोह दिला कर इस बिल की ऐज यू होल ताईद करता हूं ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना–अनूसित जाति) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह जो खेरी मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, उपान्तिक किसानों और छोटे किसानों को कर्जदारी से राहत दिलाने के लिए बिल पेश किया गया है, मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । स्पीकर साहब, होता क्या था इसके बारे में मेरे एक दो वकील साथियों ने राय जाहिर की । देहात के अन्दर आज भी अगर कोई एक बार कर्ज' में फंस गया, वह तो क्या, उसकी अगली पीढ़ियां भी सारी उम्र कर्ज से राहत नहीं पा सकती थों जो अभी–अभी यह कहा गया कि कर्जा बिल्कुल माफ कर दिया जाना चाहिए था, मैं समझता हूं कि something is better than nothing स्पीकर साहब, इस बिल में दो तरह की बात रखी गई है । जैसे कि चौधरी रिजक राम जी फरमा रहे थे कि हम इन्कम का अन्दाजा कैसे लगाए, पहली कैटेगरी के अनुसार किसी आदमी की आमदनी 2400 रुपए से कम है, तो उसका ऋण बिल्कुल माफ समझा जाएगा । दूसरी कैटेगरी में वे लोग हैं, जिनकी आमदनी 2400 से ऊपर है या 2400 है, उनके लिए ऋण डिस्चार्जड समझा जाएगा, यदि वे मूलधन की राशि से दुगनी राशि दे चुके हों । जहां तक इस बात का सवाल है कि वे अपनी इन्कम कैसे साबित करेंगे, हम रोज कोर्टस के अन्दर देखते हैं कि कैसे कोई बात

साबित की जाती हु । there are ways to prove many a things there are dffierent means to prove these things. इसलिए किसी ऐसी बात के खदशे में पड़ने वाली बात नहीं है । यह बिल हमारी प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में से एक सूत्र को पूरा कर पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं ।

चौधरी मेहर चन्द (बडोपल): स्पीकर साहब र यों तो बिल बहुत अच्छा है और यह कदम भी गवर्नमैंट का सराहनीय है लेकिन इसमें एक दो बातों की कलैरिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि वे गोलमोल हैं । मेरी अर्क है कि इन बातों की कलैरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए मसलन यह जो बिल है, उन डैटर्ज पर एप्लाई होगा जिनकी यहां पर डैफीनिशन भी दी गयी है

(g) "debtor" means an agricultural labourer, a marginal farmer, a small farmer or a rural artisan, who owes a debt."

इसके साथ–साथ इस बिल में मार्जिनल फार्मर की जमीन की बात भी इसमें कही गयी है और इसमें सिर्फ अन–इरीगेटिड लैड का जिक्र किया गया है कि जिसके पास एक हैक्टेयर तक जमीन होगी, उसको माफी होगी । जो स्माल फार्मर की डैफीनिशन दी गयी है उसमें भी अन–इरीगेटिड लैड का जिक्र किया गया है और उसके त्निये एक हैक्टेयर से दो हैक्टैयर्ज तक लिमिट रखीगयी है । मैं एक बात पर चौधरी रिजक राम जी से

सहमत हूं कि जो नीचे एक्सप्लेनेशन दी गयी है, उसके बारे में मैंमिनिस्टर महोदय से क्लैरीफिकेशन चाहता हूं । इसमें कोई लम्बे–चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है । बहरहाल, मैं इस बात में उनके साथ सहमत नहीं हूं कि इसका प्रोपेगण्डा ही किया जाये । मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इससे सारा कर्जा डिस्चार्ज नहीं हुआ । जिन कैटेगरीज के लिये यह किया गयाहै और जिनको रिलीफ मिलेगा, इसबात को कोई डिनार्ड नहीं कर सकेगा क्योंकि यह जो प्रा–इम मिनिस्टर का 20 प्वायंट प्रोग्राम है, उसके बिल्कुल ठीक फिट–इन बैठता है । जहां तक क्लैरिफिकेशन का सवाल है, मैं मिनिस्टर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, पता नहीं इस बात का जवाब आयेगा भी या नहीं लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि वह आदमी किस कैटेगरी में आयेगा, उसकी क्लासीफिकेशन क्या होगी जिसके पास आधा एकड़ पैरेनीयल इरीगेटिड लैंड है, दो एकड़ नान–पैरेनीयल इरीगेटिड लैड है और एक एकड़ अन–इरीगेटिड लैड है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह आदमी किम कैटेगरी में आयेगा आया उसको कोई रिलीफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा क्योंकि कानून तो हम बना देते हैं लेकिन फिर कोर्ट में जाकर वही बातें वकीलों द्वारा डिस्कस की जाती हैं जो इधर–उधर कही जाती हैं । अगर कोई कानून साफ नहीं हुआ तो वकीलों की चांदी होती है । इसलिये मेरे ख्याल से वकीलों की तरह से बिल नहीं होना चाहिए और यह जो क्लैरिफिकेशन मैंने चाही है, वह आ जानी चाहिए । बाकी जो बिल यहां आया है, इसके मुताल्लिक मैं दोबारा यह कहूंगा कि यह एक सही कदम है

और इससे किसी हद तक लोगों को रिलीफ दिया गया है ।

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में चौधरी रिजक राम जी ने काफी खोलकर सारी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, केवल थोड़ी सी बात ही कहूंगा । इस बिल को देखते ही यह दिखाई दिया कि जो सरकारी कर्जे, कोआप्रेटिव कर्जे, बैकों के कर्जे हैं, यह उन पर लागु नहीं होगा । आज सबसे बड़ा कर्जा को–आप्रेटिव सोसाइटियों का है । गरीबों के ऊपर आज इसी वजह से एक तरह का बोझ बना हुआ है और सूद भी दिन–ब–दिन बढ़ता जा रहा है । अपार एक बार किसी ने को–आप्रेटिव सोसाइटी से कर्का ले लिया तो वह उस कर्जे से बाहर निकलने में नहीं आता, बावजूद इस' बात की कोशिश के कि वह इससे किसी तरह से छुटकारा पा ले । हर फसल पर किसी न किसी तरह से वह कुछ चुकाता है लेकिन अगली फसल पर फिर उसको वही बात करनी पड़ती है । इसलिए अगर सही तौर पर लोगों को सहूलियत देनी थी तो सरकार को यह बात करनी चाहिए थी कि सभी को–आप्रेटिव सोसाइटियों के कर्ज, सभी सरकारी कर्जे और सभी बैंकों के कर्जे, एकदम माफ कर दिए जाते तो लोगों को कुछ आराम मिल सकता था । यहां तो यह भी चर्चा नहीं है कि को–आप्रेटिव सोसाइटियों का सूद माफ कर दिया हो, बल्कि यह कर दिया है कि उनको तो बिल्कुल ही इससे एग्जैम्पट कर दिया है कि उन पर यह लागू ही नहीं होगा । मेरा कहने का

मतलब यह है कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है सिवाय प्रचार के । मैं तो पहले भी कहता हूं और अब भी कहता हूं कि सरकार प्रचार करने की बड़ी माहिर है । यह प्रचार इस तरह से करती है कि लोग समझते हैं कि अब कुछ होने वाला है लेकिन सही बात सामने आने के बाद भी कुछ नहीं होता । इसलिए मेरी अर्ज यह है कि बजाय इसके कि जो बिल लाए हैं, वही रहे, जो बात मैंने कही है, उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए ताकि लोगों को कुछ लाभ भी मिले । इसी बारे में दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो एक हैक्टेयर अनइरीगेटिड की बात कही गई है, उससे कोई खास सहुलियत मिलने वाली नहीं है । स्माल फारमर्ज के लिए अगर कोई ऐसी बात करनी ही थी, तो कम से कम दो हैक्टेयर अश्योर्ड इरीगेटिड लैण्ड तक के लोग इसमें लेने चाहिएं थे, क्योंकि आज हमारे हरियाणा प्रान्त के अन्दर दो हैक्टेयर के मालिक बहुत ज्यादा तादाद में हैं और ये ही वे लोग हैं जो कर्जे से दबे हुए हैं । कर्जा तो खैर सभी के ऊपर है लेकिन जो दो हैक्टेयर्ज के निकट के मालिक हैं, वे ज्यादा दबे हुए हैं, उनका कर्जा उतरने में नहीं आता इसलिए मेरी यह अर्ज है कि इस डैफिनिशन में एक हैक्टेयर अन–इरीगेटिड लैण्ड से बढाकर दो हैक्टेयर्ज फुल्ली इरीगेटिड लैण्ड हो जाना चाहिए, तभी लोगों को लाभ हो सकेगा नहीं तो लोगों को कोड फायदा पहुंचने वाला नहीं है । एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह और है । मैं यह कहूंगा कि जो भी कर्जदार हैं, उनके कर्जे के अन्दर से कम से कम उनकी जमीन

जिस पर वे अपना गुजारा करते हैं, उनके घर जिसमें वे रहते हैं, उनके पशु और बैल जिससे वे खेती करते हैं और जहां पर वे पशु बांधते हैं, एग्जैम्पट होनी चाहिए और यह होना चाहिए कि वे तो कभी कुरक हो ही नहीं सकती । अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों के ऊपर बोझ बना रहेगा । अब तो किसी भी गरीब आदमी की चीज कुरक कराकर उसको सड़क पर खडा कर दिया जा सकेगा लेकिन इसबिल के अन्दर यह सारी चीजें खुलकर आनी चाहिएं । –– (विध्न) –– पंडित जी तो मेरी बात की परवाह नहीं कर रहे हैं । शायद वह यह सोच रहे हैं कि यह तो बेकार की बात है, लेकिन अगर वह गम्भीरता से लोगों की तरफ ध्यान देंगे तो यह बात उनके भी सामने आएगी । तब उनको यह पता लगेगा कि यह कुरक वाली चीज लोगों के लिए बहुत दु:खदाई चीज है । यदि किसान के बैल, घर, उनके दुधारू पशु और पशुशाला के ऊपर बोझ बना रहा तो उनको कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है । मैंने जो दों–तीन सुझाव दिए हैं, मैं आशा करता हूं कि माल मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री महोदय उनकी ओर ध्यान देंगे । अगर उन्होंने यह बातें कर दीं तो लोगों को लाभ हो। सकता है वरना तो सिवाय प्रचार के और कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

श्री के.एन. गुलाटी (फरीदाबाद) : माननीय स्पीकर साहब, यह बिल बिल्कुल अच्छा बिल है और बीस–सूत्रीय कार्यक्रम से लिंक्ड है और हुसमें गरीब लोगों को बचाने की कोशिश की गई है । यह कहना कि यह सरकार प्रचार करने में माहिर है । मैं

कहता हूं कि यह सरकार सही प्रचार करने में माहिर हें, यह सरकार सही तरीके से चलेगी और सही प्रचार करेगी । चौधरी शिव राम वर्मा गलत बातों के प्रचार करने में माहिर हैं सही बातों के नहीं । ऐसी बातों के करने का स्पीकर साहब कोई फायदा नहीं है

चौधरी शिव राम वर्मा : इनके मच्छर तो मरवा दो–– (व्यवधान)––

श्री के.एन.गुलाटी : हमारे यहां के मच्छर तो मर गए, अब तो आपको मारा जाएगा आपकी गलत बातों को मारा जाएगा । आपको जलन क्यों हो रही हे–– (व्यवधान) – स्पीकर साहब, यह बिल गरीब लोगों की मदद के लिए है..'

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : स्पीकर साहब, यह जो गले में पटका डालकर बोल रहे हैं, इनका यह कहना कि आपको मारा जाएगा, इनको क्यों जलन हो रही है, यह कोई स्पीच का हिस्सा है– (व्यवधान) ––?

श्री अध्यक्ष : गले में पटका, मूंछ मांछ इन बातों का जिक्र यहां नहीं होना चाहिए ।

श्री के.एन गुलाटी : स्पीकर साहब, यह बिल बड़ा अच्छा बिल है । गांवों में सूद से लोग दबे हुए थे यह बड़ी लानत की बात थी और सरकार इस चीज को खत्म करना चाहती है, तो इनको जलन होती है । स्पीकर साहब, सरकार, बैंक, और

कोआप्रेटिव बैक्स न तो सूदखोर हैं और न ही सौ रुपए के पांच सौ रुपए लिखते हैं । इस सरकार ने गरीबों को उन लोगों से बचाया है जो सौ रुपए के पाँच सौ रुपए लिखते थे । स्पीकर साहब, जिस चीज से गरीबों की मदद हो उसके लिए तो इन लोगों को दाद देनी चाहिए । ये लोग सही चीज को भी क्रिटिसाइज करते हैं । यह बिल बिल्कुल सही बिल है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरा करता है । इसको बहुत जोर से पास कर देना चाहिए ।

राव बंसी सिंह (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है यह छोटे किसानों और उन मजदूरों के लिए लाया गया है जो खेती में काम करते हैं तथा उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है । यह एक अच्छा बिल है और मैं इसकी ताइद करता हूं । इस ऐक्ट के बनने से बहुत से गरीब लोगों का भला होगा । लेकिन इसके साथ–साथ अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मुख्य मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि छोटे किसानों पर जो कर्जा है वह अधिकतर सोसाइटीज का है और सोसाइटीज में जो पैसा आता है वह रिजर्व बैक से आता है । मैं इस बात को मानता हूं कि रिजर्व बैक का जो कर्जा है वह वापिस जाना जरूरी है और अगर वह वापिस नहीं जाएगा तो स्टेट के सारे काम रुक जाएंगे । लेकिन उन इलाकों में जहां पर कि बाजरे की फसल होती है और खराब बीज होने की वजह से फसल बरबाद हो गई है और उसके बाद जहां फसल हुई वहां चेंपा लग

गया और इस प्रकार से काफी नुक्सान हुआ है । स्पीकर साहब, अगर आप भिवानी और महेन्द्रगढ की मण्डियों में जाकर देखें तो आपको पता लगेगा, आप महसूस करेंगे कि किसानों का बहुत नुक्सान हुआ है । उन किसानों पर सोसाइटीज का कर्जा है और उनके लिए कर्जा वापिस करना बहुत मुश्किल है । अध्यक्ष महोदय, उन इलाकों के लिए जहां फसल बरबाद हो जाती है, जहां किसान की हालत रि–पे की नहीं रहती उन इलाकों के लोगों को इस बिल के द्वारा या रूल्ज के द्वारा जरूर रिलीफ देनी चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि उनके बिल्कुल माफ कर दिया जाए । वह एक–एक पैसा देना चाहते हैं लेकिन फार दि टाइम बिइंग जो लोन हैं उसकी रि–पेमैंट को पोस्टपोन कर दिया जाए । जिन लोगों ने तीन साल से बैंक से कर्जा लिया हुआ है इस उम्मीद में कि उनको टयूबबैल का कनैक्शन मिल जाएगा लेकिन आज तक कनैक्शन नहीं मिला, उन्होंने मोटर फिक्स कर रखी है लेकिन कनैक्शन नहीं मिला है और कर्जा वापिस न करने की वजह से उनकी जमीन नीलाम की जाती है मैं इस तरह की तकलीफ और दुःख उन लोगों के, सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं बहुत जगह ऐसा है कि फसल अच्छी नहीं हुई और रेवैन्यू रिकार्ड में पटवारी ने फसल को खड़ा देखकर अच्छी फसल लिख दिया लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रिवेंसिज कमेटीज में भी यह मामला डिस्कस हुआ है कि इन–इन इलाकों में फसल को चेंपा लगा है और बाजरे का बीज खराब सप्लाई होने से किसानों को काफी नुक्सान हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी

से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों का कम से कम अगली फसल तक कर्जा माफ कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि उन इलाकों में लोगों के पास कोई दूध काभी साधन नहीं जिससे किवे अपना दूध बेच सकें । वहा पर मिल्क चिलिग सैन्टर भी स्थापित किया जाए जिससे कि वे लोग अपना दूध वहां ले जा सकें । उनके ऊपर जो लोन है फिलहाल उसको पोस्टपोन किया जाए, जिससे कि उनकी जमीन और बैल आदि कुरक होने से बच सकें । मेरी यह प्रार्थना है कि इस प्रकार से उन लोगों को रिलीफ दिया जाए ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, राव बंसी सिंह ने कहा है कि कई बार फसल खराब हो जाती है और उसके बावजूद भी बैक्स और सोसाइटीज का कर्जा वसूल किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह पहले से ही नियम बना हुआ है कि अगर किसी इलाके के अन्दर पचास प्रतिशत से अधिक फसल खराब हो जाती हैऔर वहां का कलैक्टर या डिप्टी कमिश्नर यह सर्टिफिकेट दे देता है तो वहां कर्जा की वसूली मुलतवी कर दी जाती है ।

राजस्व मन्त्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) : स्पीकर साहब, रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डैटिडनैस बिल हाउस के सामने है और बहुत से आनरेबल मैंबर्ज ने इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया है और सबसे पहले चौधरी रिजक राम ने डिबेट ओपन की । वह सियाने वकील हैं, पुराने तजरुबेकार हैं ––

श्री अध्यक्ष : सिवाने तो आप दोनों ही हैं ।

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : क्योंकि ये सियानपत के रहने वाले हैं । स्पीकर साहब, मैं यह महसूस करता हूंकि ये अपने सीने पर हाथ रखकर देंखे । यह बिल बिल्कुल एग्जास्टिव है और इसमें किसी भी डैफिनीशन में कोई वेगनैस नहीं है । लेकिन वकील कोशिशकरता है, चाहे मोक्किल के केस में जान न हो, कि उसके मोक्किल का भला हो । चाहे उसके मोक्किल ने जुर्म किया हो, लेकिन फिर भी वकील चाहता है कि उसकी इक्वीटल हो उसको कोई सजा न हो । चौधरी रिजक राम ने अपनी दलील में एक गल्त पिक्चर पेश की है । स्पीकर साहब, इस बिल के अन्दर एक–एक शब्द को बड़ा क्लीयर किया है । इस बिल में जो डैफिनशिन दी गई है, वह बिल्कुल साफ हैं । एले–मैन इन दि स्ट्रीट भी जानता है कि एक घराना किसको कहते है उसके बारे में बिल्कुल सौंफ दिया हुआ है । हाउस–होल्ड की डैफि– नीशन चाहिए, तो आप डिक्शनरी में देख सकते हैं । डैफिनीशन देने की जरूरत नहीं है ।

चौधरी रिजक राम : आप बता दीजिए कि हाउस–होल्ड की डैफिनीशन क्या है?

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : हाउस–होल्ड लफज लेकर इन्होंने पांच–सात फिकरे कह दिए कि हाउस–होल्ड की डैफिनीशन चाहिए । सरकार ने गरीब तबके की भलाई के लिए

इस बिल को लाकर कितना लिबरल व्यू लिया है... ।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : स्पीकर साहब, आन ए प्वांयट आफ आर्डर । हाउस–होल्ड की डैफिनीशन है, जिसका 2400 रुपए तक का घरेलू सामान हो –– (व्यवधान) ––– (हंसी) ––

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य चौधरी फत्न चन्द वकील तबके से ताल्लुक रखते हैं और शायद हाउस–होल्ड की जो तारीफ की, वह हकीकत पर मबनी नहीं है । इसमें सैक्शन 5 (1) पर खासतौर पर चौधरी रिजक राम ने जोर दिया है । स्पीकर साहब, इस बिल का एम क्या है? जो मार्जनल फार्मर्ज हैं, स्माल फार्मर्ज हैं, लैण्ड–लैस लेबरर्ज हैं, गरीब है,और कर्जे से दबे पड़े हैं, उनको रिलीफ देना इस बिल का एम है । इस बिल पर बोलते हुए कई आनरेबल मैंबरों ने कहा कि को–आप्रेटिव सोसाइटीज से लिए गए कर्जे माफ किए जाएं, बैंक्स के कर्जे माफ किए जाएं, जमीदारों की जमीन, जमीदारों केट्रैक्टर्ज कुर्क न किए जाएं । मैं यह बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि ट्रैक्टर वह आदमी लेगा जिसके पास अच्छी जमीन होगी, टयूबवैल वह किसान लगाएगा, जिसके पास अच्छी जमीन होगी । गवर्नमैंट ने तो टयूवैल लगाने के लिए ट्रैक्टर्ज खरीदने के लिए कर्जे की फैसिलिटीज दी हैं । खाल बनाने के लिए कर्जे दिए हैए । खाद के लिए कर्जे दिए हैं, बीज के लिए कर्जे की सहूलियात दी हैं और फिर मेरे फाजिल दोस्त यह चाहे

कि किसानों से उन कर्जो की वसूली न की जाए, मेरे ख्याल में यह एक ऐसी बात है जो उनके मुंह से न सिर्फ नामुनासिब दिखाई देती थी, बल्कि यह प्रैक्टिकेबल भी नहीं है जो कि मेरे फाजिल दोस्त 'ने की है । अब इसका मतलब तो यह है कि हम लोन देते चले और अगर वह लोन लेकर ट्रैक्टर को बेच दें जमीन को बेच दें, और अपने पशु को बेच दें तो गवर्नमैंट से रुपया लेकर वापिसी का नाम न ले, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हम जो लोन देते हैं वह इसलिए देते हैं ता कि वह प्रोडक्शन बढ़ा सके । अब एक आदमी के पास अच्छी जमिन है, लेकिन रुपया नही है, तो सरकार उसे लोन इसीलिए देती है ताकि वह टैरक्टर ले सके, टयूबवैल लगा सके । उस टयूबवैल के लगाने से या ट्रैक्टर से उस जमीन की प्रोडक्शन कितनी बढ़ा । पहले जिस जमीन मे तीन–तीन मन अनाज होता था, अब उसी जमीन में 10, 1 5 मन अनाज होता है । स्पीकर साहब, पानी बदल गया, बीज बदल गया, जमीन को शक्ल बदल गई, उत्पादन बढ़ गया, इसके अलावा आप देहात में जाकर देखिए कि गांवों में कोई कच्चे मकान बढ दिखाई नहीं देते, सभी पक्के बना दिए गए हैं । यह सभी कुछ तभी. हो सका है क्योंकि गवर्नमैंट ने लोगों को हर प्रकार की सहूलियतें दी हैं जिसके पास थोड़ी जमीन है, उसको उपजाऊ बनाया गया है, जगह–जगह पर टय्बवैल्ज लगाए गए हैं, नहरों में पानी बढ़ाया गया है, बिजली दी है, खाद दी है, ताकि वह प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी माली हालत सुधार सकें और फिर यहां इस तरह की दलीलें देना कि को–आप्रेटिव सोसाइटीज या कोई बैक कर्जा देता है, तो

उसकी वसूली ट्रैक्टर को, या उसकी कमीन को कुर्क करके न की जाए तो मैं यह समझता हूं कि यह ऐसी चीज है जोकि प्रैक्टीकेबल नहीं है! Facts are facts and they must be quarely faced. Let usace all the realities fo lfie क्या यह मुमकिन है? स्पीकर साहब एक और मैंबर ने कहा कि दो हैक्टेयर जमीन से वह कितनी पैदावार कर लेगा– (विध्न) – स्पीकर साहब, दो हैक्टेयर का मतलब हो जाता है 5 एकड़ और 5 एकड़ का मतलब है 25 बीघे । मैं तो यह कहता हूंकि एक हैक्टेयर जमीन जो अनाईएकड के करीब है और इरीगेटिड है, तो किसान उसमें टमाटर, पियाक, सब्जी, धान, मिर्च आस बो कर माकूल आमदन हासिल कर सकता है, जिसके पास एकहैक्टेयर है, वह भी तो गुजारा करता है तो यह बिल जो है यह बड़ा रेवोल्यु– शनरी है । प्राइम मिनिस्टर के 20 नुकाती प्रोग्राम के इलावा मैं यह कहता हूं कि देहात में बसने वाला जो दवाहुआ आदमी है, जो वाकई गरीब है, उसको बडा जबरदस्त रिलीफ दिया गया है । अमी दौनता साहब ने आनी स्पीच में बताया कि यहां पर ब्लैकिट प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया जाए और फिर इन्होंने लैफटिस्ट अँार राइटिस्ट का जकर किया । तो न तो हम लैफटिस्ट की बात करते हैं औंर न ही हम राइटिस्ट की बात करते हैं, हम तो जो जायज बात है वह करते हैं । उसके बाद उन्होंने रशिया के इनक्लाब का हवाला दिया In Rome do as the Romans कव हम हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान. में रहते हैं । मैं यह कह सकता हूं कि इस विल के जरिए गरीब तबके के लिए एक इनक्लाबी चीज लाई जा रही है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस

बिल में जबरदस्त रिलीफ दिया गन्दा है । अब यह भी कहा गया कि इस को कैलकुलेट कैसे किया जाए? एक माननीय सदस्य ने और चौधरी साहब ने खदशात जाहिर की कि यह कैलकुलेशन कैसे होगी । स्पीकर साहब, यह तो बिल्कुल मैथेमैटीकल चीज है, दो और दो चार वाली बात है । इसमें हुमने बिल्कुल कैटेगोरीकल प्रोवीजन की है और इस मैं जो थोड़ी बहुत वीकनैम थी. उसको क्लो–भर करदिया है । अगर किसी के पाम आधा हैक्टेयर जमीन है, या एक हैवटेयर है और उसमें आधी वैसी है, या तीन चौथाई ऐ सी है, तो यह तो सारी कैल–कुलेशन की. बात है । There will be absolutely no dffiiculty at all स्पीकर साहब यह तो ऐसा बिल है कि अपोजीशन के कई मैंबरों ने इस बिल के सिंए गवर्नमैंट को कांग्रेचुलेट किया है, लेकिन चौधरी रिजक राम की यह आदत है कि चाहे गवर्नमैंट के कितने ही अच्छे काम क्यों न हो, वे तो विरोधी बैंचिज पर बैठकर कुछ न कुछ कटाक्ष करेंगे ही और उन्होंने कोई बात माननी ही नही बल्कि he was hoping against hopes अब सवाल यह है कि वे कोई ठोस चीज लाए और अगर हमारे बिल में कोई त्रुटि हो तो हम दूर करेंगे । We are open to conviction. (चौधरी रिजक राम जी की तरफ से विध्न) ––मैं तो कह सकता हूं कि चौधरी मेहर चन्द गल्त बात कभी नहीं कहते और चौधरी रिजक राम जी की यह तारीफ हैकि वह कभी सही बात नहीं कहते– (हंसी) – और जहां तक गवर्नमैंट के क्रिटिसिजम का सवाल है, स्पीकर साहब, हुनका मन तो गवाही देता है कि हां मैं कुछ बाते ऐसी कह रहा हूं जो कि नहीं कहनी

चाहिए थीं ।

श्री अध्यक्ष : इनका दिल तो आपके साथ सीट एक्सचेंज करने को करताहै ।–– (हंसी) –

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा:(चौधरी रिजक राम जी की तरफ से विध्न) स्पीकर साहब, मैं तो उधर भी बैठ चूका हूं । पांच साल अपोजीशन का मैंबर भी रहा हूं, वह मेरी भाषा मुझे याद है, मेरी अपोजीशन की बैंचिज की तरफ से जो तकरीरें हैं, वह खुशी से खोल कर देख लें । हरियाणा बनने से पहले मैं अपोजीशन का मैंबर था । उस समय मेरी जो क्रिटिसिकम होती थी, वह कंस्ट्रक्टिव होती थी और कुछ सुझाव देता था, लेकिन ये सुझाव तो देते नहीं हैं, सिर्फ क्रिटिसिजम कर रहे हैं, उनका पाक या नापाक फर्ज यही हए कि किसी पर नुक्ताचीनी जरूर करें । कुछ न कुछ गवर्नमैंट पर कटाक्ष करें ताकि यह कम से कम जनता को जाकर कह सकें कि आप लोगों ने हम को यहां पर नुमाइन्दा बनाकर भेजा है और हमने गवर्नमैंट की खाल उखाड़ी है । –– (चौधरी रिजक राम जी की तरफ से विध्न) –– हां मैं तो कहता हूं और भैने कन्न तसलीम भी किया कि हां, मेरी जो तकरीर थी, उसको आप देख सकते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता । पहले मैं अपोजीशन में था और अब मैं मिनिस्टर के तौर पर बिल को मूव कर रहा हूं । इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है. यह ठीक है कि एक आदमी 200 रुपए तक कमा भी सकता है–– (विध्न) –– लेकिन लेन देन का सिलसिला जो देहातों में चलता है, जिससे

गरीबों का लड़ चुसा जाता है, उस चीज को द्र करने के लिए हम यह बिल लाए हैं । इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के 20 नुकाती प्रोग्राम को लेकर हम देहातों में गरीबों के लिए मिनि बैंक्स खोलने जा रहे हु । The position has changed I conceded it yesterday also. तो मैं अर्ज करना चाहता है कि इसमें कोई एम्बीग्युटी नहीं है और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, कि 200 रुपए महीना तो कोई भी आदमी कमा सकता है । तो स्पीकर साहब इस बिल का मं–खा तो उस आदमी को रिलीफ देना है who is not is a position to pay. पहले देहात में गरीब आदमी 100 रुपया कर्जा लेता था और फिर बाद में 100 के साथ एक बिन्दी लगाकर 1000 बना दिया जाता था, और गरीब का लहू चूसा जाता था । अब उतने ज्यादा लेन–देन तौ रहे नहीं है लेकिन जितने भी बाकी हैं, उनके लिए एक कंस्ट्रक्टिव मैयर के तौर पर यह बिल लाया गया है और रिलीफ दिया गया हए । देहात में हम मिरि–बैक्स खोलने जा रहे हैं, जगह–जगह पर को–आप्रेटिव सोसाइटीज के साधन किए जा रहे हैं । इसके साथ–साथ जिस आदमी के पास 7 हजार या 10 हजार आमदनी है और he is in a position to repay, why should be not repay? जो पे नहीं कर सकता है,उन लोगों को रिलीफ देने के लिए इस बिल में ऐसा किया गया है । मैं इन शब्दों के साथ बड़े अदब से यह अर्ज करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए – (तालियां)––

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-clause (2) of clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 10

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 to 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 11 to 27

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 11 to 27 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the

Bill—

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the 'Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) : Sir I beg to move—

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be passed.

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब, मैं दो मिनट के लिए आपकी इजाजत से एक अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे काबिल दोस्त रेवैन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा.

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन हैकि जो मैंबर साहिबान एक बार बिल पर बोल लें और उसके बाद गवर्नमैंट की तरफ से मिनिस्टर साहब का जवाब आ जाए, तो उसके बाद फिर वही मैंबर साहब बोलें, तो यह बहस फिर छिड़ जाती है, तो मेरी सबमिशन यह है कि जो मेंबर साहिबान एक बार बिल पर बोल लें, उनको दुबारा बोलने के लिए इजाजत न दी जाए, तो अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि रैपिटीशन नही होनी चाहिए । यह थर्ड रीडिंग की स्टेज है, इस स्टेज पर बोला जा सकता है, लेकिन जो आर्गुमेंट्स पहले आ चुके हैं, वे रिपीट नहीं होने चाहिएं । There should be no repetition

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मैं एक्रू ही बात अर्ज करना चाहता हूं लेकिन उसमें थोड़ी रैपीटीशन भी होगी । हाउस–होल्ड का जहां तक तासससउक है इसकी डैफिनीशन करना बहुतही लाजमी है क्योंकि इसमें माता–पिता, लड़का–लड़की और उनकी औरते सब आ जातीहैं, तो यह डैफिनीशन दी जानी चाहिए कि उसमें कौन–कौन शामिल हैं । दूसरी तरफ फरमाया गया है कि इसके मायने डिक्शनरी से देखे जा सकते हैं तो यह जवाब काफी नहींहै । इसी चीज को लेकर कल को कोई झगड़ा भी हो सकता है तो क्यों सरकार इसको डिफाइन नहीं कर देती ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट

आफ आर्डर है कि मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ये हाउस–होल्ड और फैमिली को मिलाकर बात कर रहे हैं, तो फैमिली अलग चीज हैऔर हाउस–होल्ड अलग चीज है ।

Mr. Speaker : No. This is not a point of order.

चौधरी रिजक राम : तो मैं कह रहा था कि सरकार इसको डिफाइन क्यों नहीं कर रही है । अगर डिफाइन कर दे, तो सबको पता चल जाएगा इसके बिना यह फिजूल का बिल बन जाता है ।

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : स्पीकर साहब, यह तो हमने इसलिए कियां है ताकि इनको भी कुछ मिल जाए । (Laughter.....)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा डॉरी प्रोहिबिशन बिल, 1976

Excise & Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to introduce the Haryana Dowry Prohibition Bill, 1976.

I also beg to move—

That the Haryana Dowry Prohibition Bill be taken

into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Dowry Prohibition Bill be taken into consideraticn at once.

श्री प्रताप सिंह त्यागी (कैलाना) : स्पीकर साहब, मेरा आज बोलने का पहला ही मौका है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि अगर मेरे से कोई शव्द वैसा वैसा निकल जाए तो उसका बुरा न मानें । मैं आदमी तो अपोजीशन का हूं लेकिन ख्यालात से नहीं हू इसलिए मैं सोच रहा था कि किसके खिलाफ कहूं और किसके हक में कहूं । शुक्र है कि आज ऐसा बिल आया है जिसके कारण मुझे अपने आप को इंट्रोडयूस करवाने का मौका मिला । मुझे जो यहां आने का मौका मिला है उसके लिए जहां मेरे इलाके के तमाम वौटर्ज को क्रैडिट जाता है, वहां चौधरी रिजक राम को भी जाता अप जो कि यहां बैठे हैं– (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुईं) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अगर मेरे से कोई गलत बात निकल जाए । कल मेरे एक मोहतरिम दोस्त चौधरी मेहर चन्द जी एक बिल पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसा बिल हरियाणा में कभी नहीं आया । मेरे ख्याल से वे गलती पर थे । मैं समझता हूं कि जो बिल आज आया है वह ऐसा बिल है जो कभी न आया और न आएगा । दहेज एक सामाजिक बीमारी थी जो इस बिल से खत्म की जा रही है । मेरा ख्याल है कि कोईभी खेमा आदमी न होगा जो यह कहे कि यह बिल खराब है

। मैं तो जितनी इस बिल की तारीफ करता हूं वह कम ही कम है । वाकई यह ऐसा बिल है जिसकी वजह से देश में सामाजिक बुराई खत्म होने जा रही है । मैं इस बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं भाषणाचार्य 'नहीं हूं । मैं तो अपने 'आप की ओपनिंग सैरेमनी करना चाहता था लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यह बिल जो हमारे सदन के नेता ने पेश किया है मेरे ख्याल में यह उनके आने पर पहला ही ऐसा बिल है जो हरियाणा को और भी तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा । मैं अपने हाउस के लीडर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके दिल में ऐसी बात आई । मैं उनकी तवज्जो क्लाज 8 (बी) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें सिर्फ 6 महीने की म्याद रखी गई है । मेरे ख्याल में 8 महीने कम हैं यह कम से कम दो साल होने चाहिए' । क्योंकि घर में जो झगड़ा होता है वह बच्चा पैदा होने के बाद चरना जाताहै 6 महीने में तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, उसको भी कम से कम 9 महीने लगते हैं । यह मेरी तजवीज हए अच्छी है या अच्छी नहीं है, यह आप देख लें अगर अच्छी है और आप इससे सहमत हैं, तो इसे मान लें । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी प्रधान मन्त्री जी का जो बीस नुकाती प्रोग्राम है और उनके दिमाग में जो बातें समाज को ऊपर उठाने के लिए आई हैं, यह बिल जो हाउस में आया है उसका एक हिस्सा है, एक कड़ी है । यह बिल ऐसा है कि इससे समाज में बहुत सुधार आएगा और समाज में जो यह दहेज की लानत चलती थी और जिससे समाज गिरावट की तरफ जा रहा था उस लानत को यह बिल खत्म करेगा । 2०

सूत्रीय प्रोग्राम को भारतवासी मन से ग्रहण कर लें तो भारत का दर्जा दूसरे देशों में अधिक अच्छा हो जाएगा । अन्त में, में डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । मैंबर साहिबान का भी धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझे सुना और मुख्य मन्त्री जी का भी मैं मशकूर हूं जो वह ऐसा इनक्लाबी बिल हाउस में लाए हैं जिससे समाज में बहुत सुधार आएगा और प्रधान मन्त्री जी, जैसे चाहती हैं, हिन्दुस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा । मैं बजट पर भी बोलना चाहता था, लेकिन इसके बारे में मैं जैसे पहले ही क्षमा मांग चुका हूं कि बजट के मौका पर मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या कहूं और क्या न कहूं । तो अब मैं बजट के बारे में एक दोहा, छन्द या उसे तुकबन्दी कह लें, कहकर अपनी बात खत्म करता हूं और वह दोहा इस प्रकार है :–

11.00 बजे ।

जब गुप्ता भए बनारसी, श्री रामशरण के साथ,

तो नए करों के ही बिना भला क्यों न रुके उत्पात ।

भला क्यों न रुके उत्पात, भाग हरियाणे के जागे ।

प्रताप भला घबरावे क्यों, जब बंसी गुप्त आगे ।

चौधरी फूलसिंह कटारिया (साल्हावास, अनुसुचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहिबा इस में कोई दो राय नहीं कि यह बिल

निहायत ही अच्छा हए और मैं तो यह महसूस करता हूं कि यह बिल आज से बहुत पहले आना चाहिए था । खैर, अब भी गवर्नमैंट ने इस बीमारी को दूर करने के लिए और दहेज की लानत को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है, यह खुशी की बात है । इसके लिए मैं गवर्नमैंट को और खास तौर पर मुख्य मन्त्री गुप्ता जी को बधाई देता हूं । उनका नाम हमेशा के लिए याद रहेगा कि उनकी मिनिस्टरी में ऐसा बिल पास हुआ था जिस ने एक निहायत ही बुरी सोशल–ईवल को खत्म किया । इस बारे में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूंकि इस बिल में जो पांच हजार रुपया जुर्माना वाली बात रखी गई है इससे बड़े–बड़े लोगों को फायदा हुआ हैय जो एक्रू शादी पर तीस चालीस हजार रुपया खर्च कर देते हैं जो लोग इतना रुपया खर्च कर सकते हैं वह पांच हजार रुपए को क्या समझते हैं । गरीब लोगों को, हरिजनों को और पिछड़े तबका के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान हुआ है क्योंकि वे तो पहले दो तीन हजार से ज्यादा शादी पर खर्च नहीं करते हैं, लेकिन आपने सजा रख दी पांच हजार रुपए । इसलिए मेरी अर्ज है कि आप गरीब हरिजनों और बैकवर्ड लोगों के लिए यह सजा दो हजार रुपए रखें और बडे लोगों के लिए अमीर तबका के लोगों के लिए बेशक पांच हजार रुपए की बजाय ज्यादा जुर्माना रख दें । इसमें यह तरमीम कर दी जाए यह मेरा सुझाव है । दूसरी बात यह है कि शादियों में भंगड़ा डाला जाता है । लोग शराब पी कर शादियों में भंगड़ा डालते हैं और यहां तक भी देखने में आता है कि लड़कियां भी नाचने लग जाती हैं और पढ़े

लिखे लोग शराब पी–पी कर भंगड़ा नाच करते हैं । इस के बारे में भी पाबन्दी लगनी चाहिए और सजा मुकर्रर होनी चाहिए ताकि यी लानत भी खत्म हो जाए । तो इस बारे में यह दो सुझाव देकर इस बिल की ताइद करता हूं ।

चौधरी पीर चन्द (बरवाला, अनुसुचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया है और यह जो बिल इस वक्त सदन के सामने आया है, मैं इसकी पुरजोर ताइद करता हूं क्योंकि यह बहत ही अच्छा बिल है और इसमें यह सारे हरियाणा की जनता के हित की बात है । मैं समझता हूं कि हमारे समाज में जो यह बुराई थी जो इसे घुन की तरह खा रही थी, उसे दूर करेगा । मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत देर के बाद आया है और यह बहुत पहले आना चाहिए था, ताकि ये दहेज वाली बीमारी जो अब बहुत बढ़ गई है इतनी ज्यादा न बढ्ती और पहले ही खत्म हो जाती । लेकिन अब जो कदम उठाया गया है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सोच विचार करके यह बिल लाया है, चाहे लेट ही लाया गया है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं और इसकी ताइद करता हूं । देश की प्रधान मन्त्री ने जो बीस सूत्रीय प्रोग्राम चलाया हए और उसके तहत जो देश के सामने कार्यक्रम रखा है यह बिल भी उसी आधार पर आया है लेकिन इसके अन्दर एक और बात है कि बारात में 25 आदमी से ज्यादा नहीं होने चाहिएं और उसके साथ–साथ यह भी कर दिया कि जो बैंड बजाने वाले होंगे, उनकी

तादाद 11 से ज्यादा नहीं होगी । जहां तक 11 बैंड बाजे वाले रखने की बात है, इसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, इससे सरकार की जो यह पालिसी है कि गरीब तबका के लोगों को ऊपर उठाना है, बुरा असर पड़ेगा –– (विध्न, शोर) –– मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात जो मैं कह रहा हूं यह समाज के गरीब तबका के लौगों से सम्बन्ध रखती है, क्योंकि आप. जानते हैं कि हमारे ये बैड बाजे वाले भाई धानक और बाल्मीकि बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं अगर उनकी तादाद आप 11 कर देने तो इससे उनके रोजगार पर असर पड़ेगा और ऐसा करके उनको रोटी देने की बजाय उनकी रोटी छीनने वाली बात हो जाएगी –– (विध्न) –– मैं यह चाहता हूं कि 11 बैड बाजे वालों की बजाय इनकी तादाद बिल में तरमीम करके 52 कर दी जाए –– (हंसी) ––इससे ही उनको फायदा होगा । ये गरीब लोग विवाह शादियों पर ही निर्भर करते हैं और जहां उनको पैसे मिलते हैं वहां यह गरीब लोग बड़े–बड़े अमीर लोगों और अफसरों की शादियों में जाकर अच्छा अच्छा खाना भी खा आते हैं जो वैसे उनको कभी नसीब नहीं हो सकता । इसलिए अगर उनकी तादाद पर पाबन्दी लगाकर उसे घटाएंने तो इन लोगों पर बुरा असर पड़ेगा–– (विध्न) – तो मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि इस बिल में यह तरमीम कर दी जाए और इनकी तादाद 11 की बजाय 52 कर दी जाए । धन्यवाद ।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति) : डिप्टी

स्पीकर साहिबा, इस सदन में हरियाणा डॉरी प्रोहिबिशन बिल, 1976 पेश है ।

श्री श्याम चन्द : इस बिल पर तो बनियों को बोलना चाहिए लेकिन बोल रहे हैं हरिजन । –– (व्यवधान) ––

श्री अमर सिह : हरियाणा के अन्दर जो बुराई चल रही थो और जो धीरे–धीरे कैंसर की शक्ल अख्तियार कर रही थी, उस बीमारी को इस बिल के द्वारा ठीक किया जा रहा है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक समय था, राजा राम मोहन– राय के समय में सती होने का रिवाज था और सैकड़ों लड़कियां अपनी जान से हाथ धो बैठती थीं । उनका खाबिन्द मर जाने के बाद वे लड़कियां जवान हों, चाहे बूढी हों, उनको सती होना पड़ता था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने इस बुराई को दूर किया । उसी प्रकार गुप्ता जी ने हरियाणा से एक ऐसी ही बुराई 'को दूर करने की चेष्टा की और यह बिल हाउस के सामने लाए । यह एक सराहनीय कदम है, इस बिल में 2० सूत्रीय कार्यक्रम भी शामिल है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने जिस बुराई को दूर करने का फैसला किया है, वह बुराई हकीकत में एक ऐसी बुराई थी, जो रिच–तबके की पैदा की हुई थी । रिच–तबका अपने लड़के की बोली लगाता था । जो लड़का 1०वीं पास होता था उसकी 2० हजार, जो बीए. पास होता था उसकी 4० हजार और जो एस–डीओ. या गजेटिड आफिसर हो उसकी बोली 8० हजार तक लगती थी । वे खूबसूरत लड़कियां जो माताऐं बनकर देश के

अन्दर क्रांतिकारी नौजवान पैदा करती थीं, उन्हें इस प्रथा से आत्म–हत्या करनी पड़ती थी । इस प्रकार की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए जो बिल सदन के सामने है, यह इन हालात के मुताबिक ही आया है । सदन में यहँ बात भी कही गई कि यह बिल हरिजनों को, गरीब आदमियों को इफैक्ट नहीं करता । लेकिन मैं कहता हूं कि यह उस एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी को, उस लेबर–क्लास को इफैक्ट करता है जो इस बात की शिकार होती थी कि जो अच्छा लडका होता था उसके दाम लगाए जाते थे और इस क्लास के लड़के अच्छे घरोमें शादी नहीं कर सकते थे । यह सारी बीमारी रुपये से पैदा होती है । अब इस बिल में पनिशमैंट का प्रोवीजन रखा गया है कि अगर कोई भाई या कोई मां–बाप किसी के ऊपर डॉरी का दबाव डाले तो उसके खिलाफ डी ०एस ०पी ० इन्क्वायरी करने के लिए आएगा और 6 महीने की सजा या 1000 रुपया जमीनय किया जाएगा । बाकायदा पनिशमैंट होगी और मैं इे बात की सराहना करता हू । जहां तक हरिजनों का सवाल है या दूसरे लोगों का सवाल है, उनके बारे में कहा है कि 5000 रुपया खर्च करें । वे. तो पांच हजार भी खर्च कर सकते हैं एक रुपया भी खर्च कर सकते हैं, उन के ऊपर कोई रुकावट नहीं है लेकिन पांच हजार से ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए । अगर किसी भाई को कोई गिला–शिकवा हो कि पांच हजार तक लिमिट रखी हुऐ, वह अगना गिला–शिकवा निकाल दे! वह तो एक रुपया खर्च कर सकता है, इस पर कोई पाबन्दी नहीं है । मेरे भाई पीर चन्द जी मजाक में माह रहे थे कि जो ढोल पीटने वाले भाई हैं

उन को बढावा नहीं दे. रहे हैं । जो हरिजन भाई बैंड का काम करने वाले है उन की लिमिट 11 फिक्स की है । उस क्लास को मेनटेन करने के लिए यह लिमिट काफी है

चौधरी पीर चन्द : मैं आपसे पूछता हूं कि इनकी तादाद ज्यादा होने से आप खुश हैं या नहीं (व्यवधान)

श्री अमर सिंह : 11 आदमी हों तो वह क्लास कायम रहती है और शादी में रौनक भी हो जाती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं एक बात की क्लैरिफिकेशन चाहूंगा आनरेबल मिनिस्टर इस बात पर रोशनी डालें । बिल की क्लाज 2 (बी) में लिखा है ——

"marriage expenses shall include expenses incurred on illuminations, food and the arrangements for serving the food to the members of the marriage party and other expenses incidental thereto."

इस में इल्युमिनेशन की बात है । हजारों रुपया इल्यमिनेशन पर लगा देते हैं । बहुत ज्पादा रौनक–ठौनक, चमक–दमक की जो बात है हुसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए इस चमक–दमक पर पाबन्दी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा रोशनी न हो, इसकी बजाए किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में इलैक्ट्रिसिटी दें तो ज्यादा फायदे वाली बात है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने देखा होगा, सारे हरियाणा में अगर 100 शादियां एक दिन में हों तो उस के ऊपर कितनी बिजली खर्च होती है । अगर वह

इलैक्ट्रिसिटी किसानों के टयूबवैल्ज को दी जाए, किसी इंडस्ट्रियल फील्ड को दी जाए तो वही बिजली जो चमक–दमक के फजूल काम में लगती थी! उससे देश की डिवैल्पमैंट की जा सकती है । उससे इंडस्ट्रीज का काम चलेगा । इस काम के लिए बिजली की एक्सटैन्शन नहीं होनी चाहिए, यह वेस्टफुल एक्सपैंडिचर है इस पर पाबन्दी लगाई जाए । पांच पांच सौ रुपया, हजार हजार रुपया सजावट में लगा देने हैं । मैरिज पार्टी को जो रोटी देते हैं और जो प्रैजैन्ट्स वगैरा देते हैं उसका खर्चा भी पाँच हजार के अन्दर रहना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी आने पो की शादी कर रही हैं, इमके जो आत कार्ड बाटेंगे वह भी छोटे हौने चाहिए और इन पर कम एक्सपैसिज होना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : यह कार्ड भी पांच हजार के अन्दर आ जाए गे ।

श्री अमर सिंह : इसके इलावा जो जैन्ट्स इकटठे हौगें वे भी तकरीबन 600 के करीब इकट्ठे होंगे, इन पर भी बहुत ज्यादा खर्च होगा इस पर भी पाबन्दी होनी चाहिये और लड़के वाले पार्टी लेकर आएंगे उस में 50 से ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिएं, गैस्टों पर पाबन्दी होनी चाहिए क्योंकि इम पत्र काफी खर्च होता है । यह बिल रैवोल्युशनरी बिल है, इसके जरिए उस बुराई को दूर करके हम उस पद पर पहुंचने जा रहे हैं जिस पर हमें पहुंचना जरूरी था । आज रैवोल्यूशन का समय है, आर्थिक क्रान्ति का समय, समाजवाद लाने का समय हैं । जिस ढंग से पूंजीवाद को रिड्यूस

करने की बात इे बिल में है, उसको हम वैलकम करते हैं । मेरे कई भाई हम प्रकार की अच्छी बात को, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो जिससे सामाजिक बुराई उखडती है, उसको मजाक के तौर पर ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए । यह एक बेहतरीन कदम है, इसकी मैं सराहना करता है । इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब बारात जाती है उसमें कई लोग बड़े गलत ऐक्शन करते हैं । बारात सही ढंग से जानी चाहिए । जो लोग लीकर पीकर भंगड़ा करते है यह घृणाजनक बात है । बहुत सारी बारातों में लड़कियां डांस करती देखी हैं, ये बारात के आगे– आगे डांस करती जाती हैं, यह बहुत बुरी बात है । यह भी सामाजिक बुराई है, इसको भी टूर करना चाहिए और यही हमारी सर्कार का मन्शा है । (घंटी) इसके एम्ज एंड आंब्जैक्ट्स में लिखा है

परिवहन मन्त्री (श्री के ० एल ० पोसवाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने जो कार्ड वाली बात कही है इसको एक्सपंज करें । इन पर आपने पैसा नहीं खर्चा है, वी० पी० पी ० करको भेजे हैं । (व्यवधान) ।

श्री अमर सिंह : मैं कार्ड वाली बात को वापिस ले लेता हूं । (व्यवधान)

उपाध्यक्षा 5 हजार की जो लिमिट रखी है उसी में सारा खर्चा आ जाएगा, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग खर्चा नहीं है (व्यवधान) ।

श्री अमर सिंह : ड़िप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बिन की स्टेटमैंट आफ औबजैक्टस एंड रीजन्ज की तरप, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इतना वैल–वर्डिड और बेहतरीन औबजैक्टं इस बिल का है जिसका कोई हिसाब नहीं । लिखा है––

"Under the provisions of the Dowry Prohibition Act, 1961, the giving, taking or demanding of dowry is punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to Rs. 5,C00 or with both. But they have not proved to be deterrent enough to root out the evil system of dowry from the present society. The situation demands that the punishment to be provided for offences under the Dowry Prohibition Act, 1961 should be made more stringent and rigorous."

उपाध्यक्षा : चौधरी अमर सिंह जी आपने बहुत टाईम ले लिया है । अब आप अपनी स्पीच वाइन्ड अप करे ।

श्री अमर सिंह : एक मिनट औत स गा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस तरह का कानून पहले भी छपा लेकिनउसके द्वारा भी बुराइयां दूर नहीं हुई । अब चूकि मोजूदा बिल के जरिए हमारी सरकार ने और मुख्य मंत्री साहब ने उन बुराइयों को जड़ से उखाडने का तहैया किया है इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं और सदन को बता देना चाहता हूं कि इस दिल के द्वारा अवश्य ही सामाजिक बुराइयां दूर हो जाएगी । इन शब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

चौधरी रिजक राम (राई) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ दिन हुए मुख्य मली जी ने इस हाउस में बोलते हुए फरमाया था कि समाज की जो बुराइयां हैं वे केवल कानून से दूर नहीं हो सकतीं । मैं भी इस बात से सहमत हूं । चौधरी अमर सिंह जी ने बोलते हुए अभी फरमाया कि दहेज के बारे में सन् 81 का लोक सभा का पास किया हुआ ऐक्ट अब भी लागू है । उसमें भी पांच हजार तक के जुर्माने और सजा आदि की बातें हैं । तकरीबन इन्हीं लाइन्ज पर वह ऐक्ट है, कोई खास फर्क नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसका प्रयोग शायद ही कहीं हुआ हो । इस बिल का भी, जिस पर हम सबको सहमत होना चाहिए, वही हशर होना है जो सन् 61 के ऐक्ट का हुआ है । वह क्यों? क्योंकि सामाजिक सुधार के मुताल्लिक जो विधेयक हैं, जो कानून हैं उनको लागू करने में सरकार की लिमिटेशन्ज हैं । वह किसी प्राईवेट पार्टी को अख्तियार दे नहीं सकती कि वह चारा जोरी करे, वह पुलिस को भी अख्तियार दे नहीं सकती कि वह जाकर कोगनी जैन्सले ले, लोगों को गिरफतार करले । फिर सम्बन्धित पार्टी पर मुनहस्सर रह जाता है कि वह उस पर कार्यवाही करे । इस बिल की क्लाक 8 में प्रोवाइड किया गया है कि 8 महीने के अन्दर, जो पार्टीज हैं, शादी से मुतलका फरीकेन हैं, लड़की है या लड़का है, वही कंप्लेन्ट्स कर सकते हैं । उसके बाद उस पर कार्यवाही होगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐसा शायद ही शादी का कोई केस हो जिसमें इतने जल्दी बिगाड़ हो जाएं कि लड़का या लड़की कंप्लेट करे कि दहेज लिया या ज्यादा खर्चा किया, इसलिए इनको सजा

होनी चाहिए । उमर भर भी गुजर सकती है बगैर कंप्लेन्ट किए अगर अच्छे सम्बन्ध रहेंगे, अगर उनका प्यार आपस में हो । जब आपस में नहीं बनेगी तभी वे कोर्ट में जाएंगे ।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्लाज 6 जो इन्होंने दी है उसमँ यह प्रोवाइड किया है कि अपनी वाईफ को अगर कोई डौरी की बिना पर कंजुगल राईटस डिनाई करता है तो लड़की कंप्लेन्ट कर सकती है । वह कह सकती है कि उससे दहेज ज्यादा मांगते हैं और इस बिना पर उसे वापस ले जाने से भी इन्कार करते हैं । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता ी कि इसको ऐक्सप्लायट करने की बड़ी गुंजायश है । जहां लड़के और लड़की में कोई मतभेद हो जाएगा वे फौरन इस क्लाज का फायदा उठाएंगे । इस क्लाज के दुरुपयोग होने की संभावना है । इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें यह भी प्रोविजन है कि 6 महीने के अन्दर पति या पत्नी दरख्वास्त दे सकते हैं, किसी दूसरे को अख्तियार नहीं है । कोई भी कौमनसैन्स की बिना पर देखे, तजुरुबे की बिना पर देखे, इसका फायदा कम हो सकता है । चौधरी अमर सिंह जी बहुत बेहतरीन वकीलों में से हैं लेकिन वे भी इसके इतनी तारीफ के पुल बांध रहे थे जिसका कोई हिसाब नहीं । उन्होंने कहा कि दहेज की प्रथा खत्म हो जाएगी, मिनिस्टर साहब ने और मुख्य मैली जी ने ऐसा अग्नि बाण चला दिया है जिससे सारे हरियाणा का कल्याण हो जाएगा । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इससे कैसे हरियाणा का कल्याण हो जाएगा ।

मैं तो अर्ज करना चाहता हूं और बार बार वह बात कहनी पड़ रही है कि बिल प्रचार के लिए मत लाएं । (विघ्न) हें जो कुछ बोल रहा हूं वह बाहर जाना नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो आपके द्वारा मुख्य मत्री जी और उनके साथियों को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज जरूरत अमल की है । सन् 61 का ऐक्ट है, जो इन्हीं लाइन्ज पर है, पार्लियामैंट ने पास किया हुआ है और सारे देश में लागू है, जब उसका आज तक उपयोग नहीं हुआ तब दूसरा बिल लाना मैं कहता हूं महज अखबारों में लाने के लिए है कि डौरी के बारे में चौधरी श्याम चन्द ने एक बड़ा बिल ला दिया और अब समाज में बुराइयां नहीं रहेंगी । इसका अच्छा पहलू तो वह है जो चौधरी पीर चन्द जी ने फरमाया । इसमें 25 अदमियों की बारात का प्रोविजन था लेकिन साथ ही इन्होंने 11 बैंड के आदमियों की भी इजाजत दे दी है । बाकी एक भी ऐसी बात नहीं है जिसका फायदा समाज को होगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं मुख्य मंत्री जी से बिल्कुल संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं । अगर वे दहेज की बुराई को दूर करना चाहते हैं, तो वह कभी भी कानून से नहीं हो सकती । मुझे अपने इलाके की एक बात याद है । उसका, डिप्टी स्पीकर साहिबा, शायद आपको भी पता होगा और मुख्य मंत्री जी और दूसरे साथियों को भी मालूम होगा । हमारे इलाके में सन् 1907 में एक बड़ी भारी पंचायत हुई । उसमें सबसे पहले यह फैसला किया गया कि सौ रुपये से ज्यादा दान नहीं दिया जाएगा और 25 या 50 से ज्यादा आदमी बारात में नहीं जाएंगे । उस पर कुछ अमल हुआ ।

कुछ बिरादरियों ने इस बात को माना और कुछ बिरादरिया ऐसी थीं जिन्होंने नहीं माना । दूसरी पंचायत सन् 1957 में हुई । इसमें कहा गया कि जो भी बारात जाएगी उसको दो दफा से ज्यादा खाना नहीं दिया जाएगा औंर बारात 25 आदमियों से ज्यादा नहीं जाएगी । यह फैसला लोगों ने माना । यही नही अब तो यहां तक हो गया है कि सिर्फ एक खाने तक की बात रह गई है । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पंचायती तौर पर तो आप इसे चला सकते हैं, कानून के जरिए यह चल नहीं सकता और यह तो कानून है भी नहीं । 6 महीने के अन्दर–अन्दर कंप्लेन्ट करने की बात का कोई महत्व नहीं है । बहुत सी जगहों पर आज भी इस तरह की बातें हो रही हैं । सोनीपत में अग्रवाल बिरादरी ने यह किया है कि जो भी शादी होगी वह दिन में होगी और एक वक्त की रोटी देंगे । इससे रात की इल्युमिनेशन का जो खर्चा था वह बच गया है । तो एक बार मैं फिर कहूंगा कि पंचायती तरीके हें ही यह बीमारी दूर हो सकती है, कानून से शायद नहीं हो सकती ।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनका पब्लिक रिलेशन्ज डिपार्टमैंट जो है उसमें बडा भारी स्टाफ है । उसके द्वारा भी ये ज्यादा से ज्यादा प्रचार इस बारे में कराएं । कानून से यह बात बनने वाली नहीं है आप चाहे उसका कितना ही इस्तेमाल करें । हम यहां जितने भी सदन के मैम्बर हैं वे सब जिम्मेवार मैम्बर हैं । सब का अपने अपने हल्के में आदर है, रसूख है । वे

अपने हल्कों में जा कर पंचायतें करें, डी० सी० और एस० डी० ओज ० हैं वे भी प्रोग्राम बना कर पंचायते करें । वे अपने इलाकों में जा कर पंचों और सरपंचों को बुला कर इस बात का फैसला करें कि शादी और बारात में ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए ।

एक बात और मैं मुख्य मंत्री जी के विचार के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गांवों में लोगों में सेविंग या डिपोजिट की आदत नहीं है । फसल के मौके पर या तनखाह के मौके पर उनकी होल्डिंग की पुरानी आदत चली आ रही है । वे उस पैसे को अपने घर पर ही जमा रखना चाहते हैं । सेविंग की आदतन होने से गांवों के लोग बहुत पीछे हैं । वे शादी में खर्च करने के लिए लोगों से कर्जा भी लेते हैं । जो भी गांवों में खाते–पीते लोग हैं वे हार्ड कैश ही रखते हैं । हार्ड कैश होने से वे खर्च भी ज्यादा करते हैं । मैंने एक तजवीज पहले भी रखी थी और अब फिर रखना चाहता हूं कि लोगों को बैंकों में पैसा जमा कराने की आदत डालें । अगर किसान को बैंकों में पैसा जमा कराने की आदत पड़ जाये तो खुद–ब–खुद ही बचत होनी शुरू हो जायेगी ।

उपाध्यक्षा : शादी के विषय में आप कह रहे हैं, ऐसी भी कोई तजवीज रखें जिससे कम खर्च हो ।

चौधरी रिजक राम : अगर बचत की आदत हो जाये तो उसमें कम से कम लोग खर्च करने की कोशिश करेंगे । तो मैं

यही अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे आप कितने ही कानून ले आयें लेकिन इससे लाभ होने वाला नहीं है । आप प्रोग्राम बना कर प्रचार करें, लोगों को कुछ बतायें तो उससे लाभ ज्यादा होगा । आपकी जितनी भी ऐजन्सीज हैं चाहे सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट है, हरिजन वैलफेयर डिपार्टमैंट है, पब्लिक रीलेशन है, आपके जितने भी डिप्टी कमीश्नर हैं उनके जरिए प्रचार करायें तो मुख्य मली जी ज्यादा कामयाब हो सकते है । आप जगह जगह जा कर पंचायतों के जरिए ऐसे प्रोग्राम बनायें । मुख्य मैली जी जगह जगह पर पंचायतों के प्रोग्राम में जाते हैं वहां पर इस आइटम को भी रख लें वे जहां भी जल्सा करें वहां पर लोगों को बतायें कि शादी में खर्च करना गलत है । हमारे पर तो आजकल पाबन्दी है, हम तो जलसा कर नहीं सकते और जलसे में लोग आ भी नहीं सकते लेकिन मुख्य मन्त्री जी के जलसे में तो हाजरी आसानी से हो जाती है । वे तो सरकारी तौर पर भी पब्लिसिटी करा सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, जरा आप इस चीज को कलियर करें कि कानून पास होने के बाद इस तरह से प्रचार होना चाहिए । आप यह भी सुजैस्ट करें कि कानून पास होने के बाद, प्रचार कैसे किया जाये ।

चौधरी रिजक राम : मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि कानुन का तो कोई असर नहीं पड़ना है । ये मेरे विचार हैं । इस से फिजूल कोई बिल आ नहीं सकता । मैली महोदय जिन्होंने

इसको पेश किया है, उनसे ज्यादा उम्मीद करनी भी फिजूल है । इस बिल का कोई मतलब ही नहीं है, न कभी इस्तेमाल ही होगा । यह मेरे अपने ख्याल हैं । इसमें कोई बुराई नहीं है कि मुख्य मन्त्री या दूसरे मंत्रीगण जहां पर भी पब्लिक मीटिंग्ज करें दूसरे डिपार्टमैंट के कोई प्रोग्राम हों उनके जरिए प्रचार करें कि अगर आप इस तरह से खर्च करते रहे तो तुम्हारी माली हालत खराब हो जायेगी । ऐसा करने से यह बुराई खत्म हो सकती है और फर्क पड़ सकता है ।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस के सामने आज एक ऐसा बिल है जिसकी जितनी तारीफ की जाये उतनी ही थोडी है । दरअसल यह बिल ऐसा है जो बहुत पहले इस सदन के सामने आ जाना चाहिए था । अभी यहां मेरे से पहले बोलते हुए मेरे माननीय दोस्त चौधरी रिजक राम जी ने इस बिल के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जब मैं उनको सुन रहा था तो मैं हैरान था । वे. सोनीपत की अपनी लोकल पौलिटिक्स के सिलसिले में बोल रहे थे या रीयली ये यह समझते हैं कि यह इतना फिजूल का बिल सदन के सामने नहीं आना चाहिए था । मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वे बहुत सीनियर वकील हैं वे यह जानते हैं कि किसी लाइयर को यह हक हासिल नहीं है कि वे किसी बिल में जो प्रोविजन किया गया है उसको पूरी तरह से न पढें और तोड़–मरोड़ कर उसको कोर्ट के सामने पेश करें कि यह विधान सभा भी कोर्ट की तरह ही है ।

मेरे माननीय दोस्त इस बिल की क्लास 8–बी को पढ़ें । गवर्नमैंट ने इस बात को अपने सामने रखा है कि लड़का और लड़की वाले शायद शिकायत न करें,

"(b) no Court shall take cognizance of any such offence except on a complaint made by any party to the marriage or her father, mother or brother or a Gazetted Officer specially authorised by the State Government."

तो चौधरी क्तिक राम जी जो बातें कहते हैं वे जान–बूझ कर कहते हैं । जैसे कहते हैं ''नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जब नापाक हो'' 'उन्होंने जब नापाक हो' का शब्द तो हटा दिया और ''जब नमाज नहीं पढ़नी चाहिए'' वह बात उन्होंने कह दी । वह उनके मतलब की थी । इस बिल का क्रिटिसिजम महज इसलिए किया है कि क्रिटिसिजम करना था । तो–तीनदिन से मैं उनकी बात सुन रहा हूं और जब भी वे सदन में बोलते हैं तो अकसर मैं उनका भाषण सुनने की कोशिश करता हूं । सदन में उनकी बात सुनने के लिए हाजिर रहता हूं । वे आनरेबल मैम्बर हैं । अपो– जीशन के बड़े काबिल मैम्बर हैं । मैं तो समझता रहा कि वे बड़ी ठोस बातें कहेंगे लेकिन वे हर बात में यह कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कुछ नही कर रही है । सरकार का हर अच्छा कदम वे यह कह कर खत्म कर देते हैं कि यह प्रोपेगन्डे के लिए कर रहे हैं । चौधरी रिजक राम जी को यह बताना चाहता हूं कि चाहे वे कुछ भी कहें लेकिन सरकार लोगों को फायदा पहुंचायेगी और इस बारे में कितना ही दु:ख महसूस करें, इसका हमारे पास

कोई इलाज नहीं है । हमारी सरकार तो हर अच्छे काम को करेगी । कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करती है और हमारी प्रधान मती भी अच्छा काम करती है । चौधरी श्याम चन्द ने और मुख्य मंत्री जी ने इस बिल को ला कर बहुत बड़ा काम किया है ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सन् 1981 में जो पहले बिल बना हुआ था, मैं उनकी काबलियत को शक की नजर से नहीं देखता उन्होंने भी उसको पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है । वह वाक्या ही डैड लैटर बन कर रह गया है । अब जोइस बिल में क्लाज 8—बी को एड किया उससे वह डैड लैटर बन कर नहीं रहेगा । चौधरी रिजक राम जी को मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब यह मैटर कांग्रेस पार्टी में अन्डर डिस्कशन था तो मैंने भी इसमें हिस्सा लिया था और मेरा भी थोड़ा बहुत इसमें सहयोग है क्योंकि जिस बिरादरी से मैं बीलौंग करता हूं उसमें सब से ज्यादा यह कुरीति थी । मैं मुख्य मंत्री जी, श्री गुप्ता जी का मश्कूर हूं क्योंकि वे भी इसी बिरादरी से हैं जिसमें यह प्रथा सब से ज्यादा है । मैं ज्यादामश्कूर तो चौधरी श्याम चन्द जी का हूं, इतना गुप्ता जी का नहीं, क्योंकि वे यहां इतना अच्छा बिल इस हाउस में लाये हैं जिसका हमारे समाज को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है । इस बिल के आने से यह भी पता चल रहा है कि जहां हमारे मुख्यमंत्री राजनैतिक रेवोलूशनरी रहेहैं वहां सामाजिक रेवोलूशनरी की शकल में भी समाज के सामने आये हैं । (तालियां) चौधरी रिजक राम जी ने इस बिल के बारे में कहा कि इसका प्रौपेगैन्डा

किया जाये और जहां कहीं भी गुप्ता जी जायें वे अपने भाषण में इन सामाजिक कुरीतियों के विषय में लोगों को बतायें । मैं चौधरी साहब से अर्थ करना चाहता हूं कि कभी वे गुप्ता जी का भाषण सुनने की कोशिश करें, उनका भाषण हमेशा ही सामाजिक कुरातियों के खिलाफ होता है । कितनी ही दफा उन्होंने बहुत जोरों से कहा है । पहले वातावरण क्रियेट करके बिल को लाने की उनकी हिम्मत हुई । डिप्टी स्पीकर महोदया, एक बात उन्होंने कही कि कानून के जरिए कुछ नहीं हो सकता । लेकिन मेरी राय उनके खिलाफ है । अभी भाई अमर सिंह जी ने भी बोलतेहुए जिक्र किया था कि पहले रसमें सती के खिलाफ वातावरण पैदा किया गया, समाज ने उनको ऐक्सैप्ट किया लेकिन वह प्रथा खत्म तब हुई जब लार्ड वीलियम वैंटिग ने कानून बनाया वरना रसमे सती की प्रथा हिन्दुस्तान से खत्म नहीं होनी थी । अगर मुख्य मंत्री जी और श्याम चन्द जी यह कानून न बनाते, चाहे हम लाख चक्कर चलाते रहें, कितनी ही पंचायतें करते रहें, गुप्ता जी कितनी बातें कहते रहते लेकिन समाज ने ऐक्सैप्ट नहीं करना था क्योंकि कुछ पूँजीपति जो हमारी बिरादरी के हैं और जिनके पास नया पैसा होता है वे ज्यादा दिखावा करते हैं और उनकी नकल दूसरे लोग करते हैं । नकल को असल बनाकर पेश किया जाता है । असल में जिसके पास पैसा है, वह खर्च करे, कोई तकलीफ नहीं है । तकलीफ उन लोगों को है जिनके पास पैसा नहीं है और उनको अपनी इज्जत बचाने के लिये असल की जगह नकल का दिखाया करना पड़ता है । यह बिल उनके ऊपर बडी भारी पाबन्दी

है । जैसा यह बिल लाया गया है, हो सकता है ऐसा कोई भी सोशल रिफार्म का बिल पूरी तरह से परफैक्ट न हो और इस बारे में मैं यह समझता हूं, क्योंकि विश्वास तो हमारे मैली महोदय या मुख्य मंत्री जी ही दिलायेंगे कि अगर इसकी वर्किन्ग में कोई कमी नजर आये, अगर इसके वकिंन्ग में आनेके बाद ऐसा समझा जाये कि इसमें कोई कमी है तो उसको दूर किया जायेगा । हमारी कांग्रस पार्टी की जो इन्टेन्शन है, वह बहुत क्लीयर है । मुझे मुख्य मत्री जी के ख्यालात भी मालूम हैं और बाबू श्याम चन्द जी के ख्यालात भी मालूम हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी का ख्याल भी बिल्कुल साफ है कि इस कुरीति को कम से कम हरियाणा में नहीं रहने दिया जायेगा । मैं चौधरी रिजक राम जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमैंट की इन्टैन्शन इस बिल को पूरी तरह से इम्पलीमैंट करने की है । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की पूरी तरह से ताइद करता हूं और ऐसा समझता हूं कि इससे बढ़िया और कोई बिल आ नहीं सकता था । कहने को तो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह बिल ऐसा है जिसमें मुझे कोई फला नजर नहीं आता । यह बिल्कुल परफैक्ट बिल है, निहायत मुफीद बिल है और तमाम समाज के फायदे का बिल है । यह इतनी अच्छी चीज है कि जितनी तारीफ की जाये, उतनी कम है ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हाउस का ज्यादा टाईम न लेते हुए सिर्फ यह अर्ज कर

देना चाहता हूं कि यह एक ऐसा बिल है जिसको सारा हाउस वैलकम करता है और चाहे इसकी कोई वैल्यू न हो जिस बिना पर इसका क्रिटीसिजम है कि यह सिर्फ प्रोपेगण्डा के लिये है, अगर यह इतना भी परपज सर्व. करता है तो भी यह वैलकम करने के काबिल है । ऐसा वातावरण पैदा करना कि अब यह जुर्म है बकाते खुद एक बड़ी भारी सर्विस है और यह बिल सीधी तरफ है, इसका रुख सीधी तरफ है । यह बात कि किसको अफैक्ट करता है, यह ज्यादा तो मेरे और गुलाब सिंह जी की बिरादरी को अफैक्ट करता है । चीफ मिनिस्टर को अफैक्ट नहीं करता । He comes from a lower middle class We belong to upper middle class. To whatever caste we belong. यह कहना कि फलाँ क्लास में पैदा हो जाये तो डौरी ज्यादा आयेगी, ठीक नहीं है । चाहे कोई जाट बनिया है, चाहे अग्रवाल बनिया है, या चाहे वह चूढा बनिया है, बनिया एक बनियाही है । बनियों को यह चीज सता रही है और अपर–मिडल क्लास और मिडल क्लास को ज्यादा सता रही है लेकिन यह कहनाकि छोटे वर्गों को नही सता रही, लैड लैस लेबरर को नहीं सता रही या जो मार्जिनल फारमर्ज हैं, उनको नहीं सता रही, यह गलत है । साइकोलोजीकल एटमौसफीयर ऐसा है कि स्कूलों में या कालेजों में जब लड़कों की सगाई करने जाते हैं तो हर पीकैन्ट यह कोशिश करता है कि वह मिडल कलास की नक्ल करे और हर मिडल क्लास अपर–मिडल–क्लास की नकल करने . की कोशिश करता है । यह जो सोशल बिमारी है, सोशल कस्टम है, इसको जो सोशयोलोजी केस्ट्रडैन्टस हैं, वे जानते हैं ।

टाप से अगर बुराई शुरू होती है तो वह नीचे की तरफ बडी तेजी से नकल की जाती है । बहुत सारे आदमी शराब सिर्फ इसलिये पीते हैं कि उन्हेंने यह सुन लिया था कि उनके अंग्रेज साहब शराब पीते हैं । फौजों में सिपाहियों ने भी साहब बनने के लिये शराब पीना शुरू कर दिया । मेरा कहने का मतलब यह है कि सोशल इविल टौप से शुरू होती हे, नीचे आती है और सारी क्लास को इफैक्ट करती है । इसके लिये कानून निहायत ही जरूरी था । यह एक निहायत ही अच्छा कानून् है । इस बारे में एक सजैशन है । 8 महीने वाली बात के बारे में प्रताप सिंह त्यागी जी ने कहा था कि रीयल डिस्प्युट तो बच्चा पैदा होने या न होने के बाद शुरू होता है इसलिये अगर यह लिमिटेशन 6 महीने की बजाये और ज्यादा एक्सटैंड कर दी जाये तो यह कौन सी अपोजीशन है, यह तो सुजैशन है । मैं समझता हूं कि वाकई टाईम थोड़ा है इसे एक्सटैंड कर दिया जाये । लेकिन बिल जो कुछ भी है, निहायत ही अच्छा है और मैं इसको वैलकम करता हूं और इसके लिये गवर्नमैंट को और इस हाउस को बधाई देता हूं । धन्यवाद ।

दीवान हंसराज सूरी (अम्बाला कैट) : आज बहुत खुशी का दिन है कि यह बिल सदन में अमली शक्ल अख्तियार कर रहा है । मैं आज से 40 साल पहले इस बात का प्रचार करता रहा और अखबार निकालता था लोगों में उस वक्त इसका काफी असर हुआ लेकिन जब ब्लैक मनी और स्मगलिंग का रुपया आया तो यह मर्ज

बढ़ता गया । यह दहेज प्रथा क्यों बनी, इसका भी एक कारण है । शुरू में कई जगह पर दुखतर फरोशी शुरू हो गयी थी, लोगों ने लड़कियों को बेचना शुरू कर दिया था, उसको रोकने के लिये यह फैसला किया गया कि लड़कियों की विदायगी के वक्त चार कपड़े अपने घर से देवें और लड़की के घर का कोई पानी भी न पीए । इस तरह से यह प्रथा बनी और फिर मर्ज बनकर बढ़ती–बढ़ती लानत बन गयी इस वक्त भारतवर्ष में कई जुबानें हैं, कई रिवाज हैं और कई किस्म की पोशाकें हैं जो सब जगह अलग–अलग हैं । इनमें जो खास तौर पर दहेज की लानत थी, वह सिंध और बंगाल में थी जहां पर कि अकसर लड़कियां तालाबों में छलांग लगाकर मरती थीं या फिर उनका जीवन दूसरी तरह से बरबादी की तरफ चला जाता था । यह सबसे बुरी बात थी । पंजाब में यह बीमारी पहले नहीं थी लेकिन ब्लैक मनी आने से यह बढ़ी है । कंटीयर की पोशाक को देखिये । कबायली इलाके का पठान 18 गज की पगड़ी बांधता और 18 गज की सलवार पहनता और उसकी खुराक भी वैसी ही । इसी तरह पेशावर जायें तो उनकी पोशाक दूसरी । इसी तरह रावलपिंडी आ जाओ तो फिर दूसरी । आगे चलो अमृतसर, वहां पर टोपी, लाहोर में टोपी गोल और अमृतसर में टोपी पिचकी हुई । फिर आगे चलो । सलवार की जगह चूडीदार पाजामा आ गया और दिल्ली में आकर पताशा टोपी हो गयी और मद्रास में जायें तो सिर नंगे और पांव नंगे । बंगाल में भी ऐसा है । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर जगह की वेशभूषा अलग–अलग रही है और खुराक भी

अलग–अलग रही है । कई इलाके ऐसे थे जिनमें सती होने का रिवाज हो गया, वह भी खुराक बुरी प्रथा थी । फिर जिस वक्त लड़के वालों में यह इन्फीरीयरिटी काम्पलैक्स आ गया कि फलाँ आदमी को लड़की देकर हम जेर हो गये हैं तो उस वक्त दुस्तर कुशी शुरू हो गयी और लड़कियों को उन्होंने खुद मारना शुरू कर दिया । उसका भी एक कारण था । अब मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाना चाहूंगा लेकिन यह कहना चाहूंगा कि यह ठीक है जैसे कि चौधरी रिजक राम जी कह रहे थे कि गुप्ता जी इस बात का प्रचार करें । मैं अब इस 2० तारीख की बात करता हूं । मेरी लड़की की शादी हो चुकी है । मेरी वह लड़की व मेरा दामाद भी वी० आई० पी० गैलरी में बैठे हैं । मेरासारा परिवार बैठा है । मैंने गुप्ता जी से छुट्टी मांगी । गुप्ताजी से कहाकि शादी में दों–चार दिन रह गये हैं, आप मुझे इजाजत दें । इन्होंने कहा, ''सूरी जी, क्या करना है, शादी में धज्जा काम होता है । मैंने कहा कि आखिर बारात बाहर से कानपुर से आनी है । तो कहने लगे कि इन्दिरा जी ने जो एलान किया है, हम लोगों का फर्क बनता है उस पर चलें । मैंने कहा कि मैं तो पहले ही बहुत सारी बातों को मानता हू । मैं डाउरी अपनी मर्जी के मुताबिक एक बन्द बक्से में देता रहा । मैंने आज तक खिलाफवर्जी नहीं की । नहमारे यहांभंगडा होताहै, न नाच और न आतिशबाजी । लाइट भी फार दी सेक आफ लाइट ओनली । मैं यह तो बहुत पहले से ही ओबजर्व करता हूं लेकिन एक चीज का फिक्र है कि उनका परिवार बहुत बड़ा है, इसलिये बाराती शायद 7०–8 ० हो जायें । वे कहने लगे कि उस

पर भी कन्ट्रोल करो । मैंने कहा बहुत अच्छा । इनके लफ्जों को मैं आकाशवाणी समझकर चला गया और जाकर कानपुर के लिये ट्रन्क काल मिलायी और उनसे यह रिक्वैस्ट की कि यह फैसला है । (विध्न) (घंटी). डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आज पहली बार बोल रहा हूं । आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं । आज मैं इसलिये भी बोलना चाहता हूं कि मेरी बीवी बच्चे जो यहां बैठे हैं, क्या कहेंगे कि यह बोलता ही नहीं है ।.. (हंसी)

श्री ओम प्रकाश गर्ग : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम । लेकिन यह तो नहीं होना चाहिए कि बीवी–बच्चों पर ही बोलना शुरू कर दो.. (हंसी)..

दीवान हंस राज सूरी : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैंने उनसे टैलीफोन मिलाया । पिछले दिनों 26 अक्तूबर को हमारी बिरादरी की आल इंडिया पुखरान कान्फ्रेंस हुई जिसमें डाउरी पर रैज्योलूशन था । उस रैज्योलूशन में यह बात आयी । उस पर यश जी मिलाप वाले, जो पंजाब में एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने यह अमैंडमैंट दी कि बारात 5० की नहीं होनी चाहिए, 25 की होनी चाहिए । उस कान्फ्रेंस में गुरमुख सिंह मुसाफिर जी और दूसरे बड़े नेता लोग भी मौजूद थे, मैंने भी उसमें भाषण दिया था और वह रैज्योलूशन पास हो गया । तो मैंने उनसे यह कहा कि जब बिरादरी ने फैसला 25 का किया है और कानून बेशक 5० का है तो बिरादरी का फैसला अमल होना चाहिए । उन्होंने यह जवाब

दिया कि मुश्किल बहुत है इसलिये थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो दो । तो 40 बाराती उसमें आये । हमारे गुप्ता साहब, और बहिन जी भी रिसैपशन पर मौजूद थे । मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोगों को खुद अमल करना चाहिए और तभी दूसरों को नसीहत करनी चाहिए! तभी इस पर अमल–दरामद हो सकती है । अब बहिन जी के पोते की शादी है । कार्ड. मेरी मेज पर पड़ा है । देखे बहिन जी क्या करती हैं, यह तो आने वाला वक्त बतायेगा ।

चौधरी मेहर चन्द : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज आप बड़ी सख्ती कर रही हैं । मैं एक शेर पढता हूं जो आप पर लागू होता है ।

उमंगे मिट रही हैं आज बे नामोनिशां होकर,

बताए कातबे तकदीर क्या लिख दिया बदगुमां होकर ।

श्री के० एन० गुलाटी (फरीदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं दों–चार मिनट में अपने जजबात हाउस के सामने रखना चाहता हूं । यह जो बिल हाउस के सामने है यह हमारे प्रधान मन्त्री के द्वारा दिए हुए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्म का एक अंग है । कुछ भाइयों ने कहा कि यह केवल प्रचार है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पीछे जब तीन दिन की छुट्टी थी तो हम लोग अपनी कांस्टीज्युऐंसी में गए । वे तीन दिन शादियों का सीजन था और हम लोगों को सारे परिवारों में जाना पड़ता है । सब ने हमें

कहा कि गुलाटी साहब आप यह बिल कब पास कर रहे हैं जल्दी करें । मैं रोज देखता हूं कि लोगों को उधार लेकर शादी में खर्च करना पड़ता है । ऐसे कानून की आज सख्त जरूरत है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी तो यह बिल पास नहीं हुआ है लेकिन सारी जनता इस बिल से बहुत खुश है खासतौर पर लड़के तथा लड़कियों वाले और वे कहते हैं कि कितना अच्छा बिल सरकार लाई है । डाउरी दिखाई न जाए यह कितनी अच्छी बात है । 25 बारातियों कीजो बात कही गई है उस पर किसी को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए । अपोजीशन वालों को भी इस बिल की सराहना करनी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब भी यह बिल पास हो तो सारे हाउस को दो मिनट तक मेजें थपथपानी चाहिएं ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शादी में जो बाराती शराब पीकर चलते हैं इसको फौरन चौक किया जाना चाहिए अगर यह प्रोवीजन कर दिया जाए कि शादी में कोई भी शराब नहीं पिएगा तो यह बहुत अच्छा होगा । बारात में शराब पीने से शादी का मजा खराब हो जाता है । शादियों में जो भंगड़ा और नाच वगैरह होते हैं और उनमें हमारी बहने नाचती हैं यह बहुत बुरा है । हमारी हिन्दू संस्कृति के अनुसार बहनें भंगड़ा नाचे यह बहुत गल्त बात है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसका भी प्रोविजन होना चाहिए कि बारात में कोई भी भाई बहन नाचे नहीं । चौधरी कटारिया ने जो यह कहा कि हरिजनों और बैकवर्ड

क्लासिज के लिए दो हजार की लिमिट होनी चाहिए, यह बात बिलकुल ठीक है और इस बिल के अन्दर इसका प्रोविजन होना चाहिए ।

अन्त में, मैं अपने नए नेता, नए ईयर का नया बजट जो हमारे नए चीफ मिनिस्टर की देखरेख में खत्म हो रहा है, उसके लिए मैं मुबारिकबाद देना चाहता हूं । यह सैशन बहुत शानदार रहा है और प्यार और श्रद्धा से आज की सिटिंग के साथ खत्म हो रहा है । जो बजट है उसमें घाटा है लेकिन कोई टैक्स नहीं है । किसान और मजदूरों के कर्जे की माफी का बिल, ऐंटी डाउरी बिल इस सैशन में पास हुए हैं इसके लिए मैं मुबारिकबाद देना चाहता हूं । सारा समय बड़े शानदार तरीके से गुजरा और बडे प्यार और श्रद्धा से सारा काम हुआ । इस सब के लिए मैं अपने नए चीफ मिनिस्टर साहब को फिर मुबारिकबाद देता हूं । धन्यवाद ।

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा डाउरी प्रोहिबिशन विधेयक सदन के सामने है । वैसे तो इसकी प्रशंसा की जानी बहुत आवश्यक समझता हूं और जिस मन्त्री महोदय ने यह प्रस्तुत किया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं । लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल भी अमीरों के लिये ही है जैसा कि इसकी जितनी चर्चा हो रही है और इसके बारे में हमारे कुछ माननीय सदस्य जैसे श्री गुलाब सिंह, दौलता साहब और सूरी साहब बोले उनके लिए तो ठीक है यह लाभकारी है । परन्तु मेरे भाई अमरसिंह, फूल चन्द जी हुसकी

जो तारीफ कर रहे थे उन्हें क्या लाभ होने वारना है यह बात मेरी समझ में नहीं आई । आप गांव में चले जाइए वहां चाहे कोई हरिजन है, गांव का गरीब आदमी है, मार्जिनल किसान है, या खेतीहर मजदूर है या दूसरी मजदूरी करने वाला है, पांच हजार तक रुपया खर्च करने की आज्ञा में उसको क्या सहुलियत मिलेगी, उसको क्या आराम मिलेगा । यह मेरी समझ में नहीं आया । क्योंकि गांव में हमारे सामने उनके रोज व्याह होते हैं और उस बयाह में वे बेचारे हजार या दो हजार रुपया कर्जा लेकर अपना बयाह करवाते हैं । हजार दो हजार में वे अब भी ब्याह कर सकते हैं । इस बिल से उनको क्या लाभ पहुंचेगा । इस बिल से केवल अमीरों को ही लाभ होगा जो ऊंचे तबके वाले हैं, जहाँ फिजूल खर्ची होती है, दिखावा होता है । हालांकि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कुछ न होने से कुछ न कुछ होना अच्छा होता है । जब ऊंचे तबके के लोगों में कम खर्ची शुरू होगी तो वीकर सैक्शन के लोगो में, मिडल क्लास के लोगों पर इसका असर पड़ेगा और वे भी उन लोगों की नक्ल करेंगे और गरीब लोगों को भी इसका लाभ होगा ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक–दों बातें और कहना चाहता हूं इसमें जो 25 बाराती और ग्यारह बाजे वालों की बात कही गई है, इसमें दो क्लाज अलग न करें वल्कि यह कह दिया जाए कि कुल 25 बाराती ही होंगे और उनमें बाजे वाले भी शामिल होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा (व्यवधान) । दूसरी बात यह

है कि आपने पांच हजार की लिमिट रखी है इसको आप नीचे लाकर एक हजार रुपये कर दें । एक हजार में शादी हो सकती है, मैं एक हजार में शादी कराकर दिखा सकता हूं (व्यवधान) । तो इस लिये मैं एक सुझाव मन्त्री महोदय को दे देना चाहता हूं कि 5,000 की लिमिट की बजाये एक हजार की लिमिट रखें तो उचित रहेगा । कई और बातें कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहीं और वे बातें उनकी हैं भी उचित कि ब्याह शादियों में शराब वगैरह पर नियन्त्रण होना चाहिये । तो मैं मन्त्री महोदय से जिन्होंने यह बिल पेश किया है वे समाज कल्याण मन्त्री भी हैं और साथ ही एक्साइज (शराब) मन्त्री भी हैं, से यह प्रार्थना करूंगा कि शराब वगैरह का प्रयोग ब्याह शादियों में बन्द होना चाहिये इस बात को भी इस बिल में जोड देना उचित रहेगा । आज जितनी भी गरीब जनता है, गरीब किसान हैं, उनका ब्याह शादियों में इस काम पर काफी खर्चा हो जाता है और जिसके कारण से उनकी शादियां खुशी की बजाये गमी में बदल जाती हैं अतरू ऐसा किया जाए कि ब्याह–शादियों में शराब किसी भी सूरत में प्रयोग न की जा सकेगी क्योंकि इसके न होने से यह बिल की बात बिल्कुल अधूरी ही रह जाती है और शराब पर पाबन्दी लगने से गरीब आदमी की जो आर्थिक हालत है, उस में बहुत सुधार आएगा और उनकी हजारों रुपये की बचत होगी (घंटी) बस जी मैं एक मिनट में खत्म करता हूं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो दो तीन बातें मैंने सुझाव के तौर पर यहां पर कही हैं, मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय इस तरफ पूरा ध्यान देंगे और इस बिल में

यह शराब वाली बात भी सम्मिलित कर के संशोधन कर देंगे तो हुससे लोगों का बड़ा भला होगा नहीं तो दिखाया तथा प्रचार मात ही रह जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । यह जो बिल आज यहां लाया गया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और हम सब लोगों से तासससउक भी रखता है । आप को तो पता है कि हम तो इसके काफी ..... हैं (विघ्न) ।

कराधान एवं आबकारी मन्त्री (श्री श्याम चन्द) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम इस बिल के जरिये कोई ..... नहीं कर रहे.... .. (हंसी) ..... लफ्ज एक्सपंज किया जाए ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, सब से पहले तो मैं मिनिस्टर महोदय को इस के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस किस्म का अच्छा बिल इस हाउस में पेश किया है ।

उपाध्यक्षा : इस लफ्ज को काट दिया जाए क्योंकि चेयर से कोई ..... नहीं हो सकता है.... मिनिस्टर साहब ने अभी म् कं की बात कही है (शोर) ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाहता हूं कि अभी अभी चौधरी शिवराम वर्मा जी ने फरमाया है कि क्या शादियों में शराब की पाबन्दी लगनी चाहिये लेकिन मेरे

को यह पता नहीं कि शराब की खुल कहां लगाई हुई है कि शराब जरूर पियो तो अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया उन्होंने यह कैसे कह दिया हैकि शराब के ऊपर पाबन्दी नहीं है । पाबन्दी तो अपने अपने विचारों की है, उनके विचार हैं तो वह पाबन्दी से हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा इस बिल को लाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह जो दिखावे की चीजें चलती हैं, थालों में रुपये रख रख कर ओपनली भी दिखाते हैं, यह बन्द हो जाएंगी । इससे मिडल क्लास के लोग और छोटे भाई बहुत दुःखी थे । श्री श्याम चन्द जी ने अभी ठीक ही कहा कि यह जो शादियां हैं यह तो एक व्यापार बनी हुई हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा आप देखती हैं कि जिन गरीब भाईयों की तीस–तीस, पैंतीस–पैतीस साल की लड़कियां हैं वह इसी वजह से शादियां नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है । एक मेरे भाई ने संशोधन के लिये कहा कि 5, 000 की लिमिट घटाकर 1,000 तक कर दो तो उचित होगा । हमें इससे क्या, हमने तो एक लिमिट फिक्स कर दी 5,000 रुपये तक की, चाहे कोई भाई 10 रुपये में शादी कर ले (हंसी) इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । सवाल यह है कि इस बिल को इम्पलीमेन्ट कराने की जरूरत है, अगर यह इंपलीमेंट हो जाए तो सारा काम ठीक हो जाएगा और इम्पलीमेंट कैसे होगा? डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं बताता हूं, ...(हंसी) तो फिर आपको ऐक्शन लेने कीजरूरत ही नहीं है । एक ऐसा असूल बन जाएगा जिससे सारे के सारे भाई (हंसी–विघ्न) ।

उपाध्यक्षा : कानून बनने के बाद इतने नहीं होंगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ...(हंसी) तो इस तरह से आपको और कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

उपाध्यक्षा : कानून में एक लड़के की शादी के लिये कोई पाबन्दी नहीं है, लड़की की शादी पर पाबन्दी है । आनरेबल मैम्बर को इस बिल को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए ।

श्री ओम प्रकाश गर्गः आप इस बिल के अन्दर जरा गौर करें, तो मैं कह रहा था कि

उपाध्यक्षा : गर्ग साहब । कानून लागू होने के बाद सब कानून के अन्दर ही चलेगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : ठीक है जी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा कहने का मतलब था कि.....

Deputy Speaker : Please speak on the Bill

डाक्टर ओम प्रकाश शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । बहन जी ओम प्रकाश गर्ग जी ने जो बातें कही हैं, मैं यह समझता हूं कि यह सारी कार्यवाही में से हदफ होनी चाहिये । यह शोभा नहीं देता कि इस प्रकार की बातें सदन में कही जाएं ।

उपाध्यक्षा : जो कुछ श्री ओम प्रकाश जी ने, आनरेबल

मैम्बर ने चेयर के मुताल्लिक या शादी के मुताल्लिक बाते कही हैं वह बिल्कुल एक्सपंज की जाए क्योंकि अभी कानून लागू नहीं हुआ, इसलिये किसी के ऊपर इस तरह के कटाक्ष नहीं होने चाहियें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं । जब कानुन पास हो जाएगा तो उसके बाद खुद ही यह चीज नहीं होगी इसलिये इनकी स्पीच का वह हिस्सा जो इन बातों से सम्बन्धित है,एक्सपंज करदिया जाए (शोर–विघ्न) ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पहले यह पता नहीं था कि यह ऐं ' करे बगैर नहीं मानेगा (हंसी) ।

चौधरी रिजक राम : पंडित चिरन्जी लाल ने जो लफ्ज... .....इस्तेमाल किये हैं, यहां तो बहुत सख्त हैं । शरारत तो निभ सकती थी यह लफ्ज भी एक्सपंज होने चाहिएं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है, ...मैंने किस से कर ली, मुझे यह तो बता दो ।

Deputy Speaker : Order, order please (Interuptions).

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : मजाक मजाक में लफ्ज ....कहा गया है, यह ड्राप होना चाहिये ।

उपाध्यक्षा : अगर कोई लफ्ज ..... है तो उसकी

जगह कोई दूसरा लफ्ज ..... (इसी–शोर) ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : ओम प्रकाश को ..... नहीं कहा था जी, मैंने तो यह कहा था कि वह ..... करे बिना नहीं मानेगा (हंसी) ।

उपाध्यक्षा : ठीक है आनरेबल मिनिस्टर साहब

राव निहाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा यह प्वायंट आफ आर्डर है कि श्री ओम प्रकाश गर्ग ने जो कुछ कहा, उस में कौन सी ऐसी काबिले–एतराज बात थी जिस के लिये आपको यह आर्डर करने पड़े?

उपाध्यक्षा : जो मैंने मुनासिब समझे ।

राव निहाल सिंह : आपने किस तरह से यह मुनासिब समझ लिया कि यह चेयर के लिये कह रहे हैं, इनका मतलब तो किसी और इन्वीटेशन से हो सकता है ।

उपाध्यक्षा : एनी हाउ, जब तक यह बिल पास नहीं होता उससे पहले इस तरह से बात करना ठीक नहीं, इसलिये मैंने जो मुनासिब समझा, कर दिया ।

आबकारी तया कराधान मन्त्री (श्री श्याम चन्द) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल के बारे में कुछ भाइयों ने अपने अपने विचारों का इजहार किया और कुछ अपोजीशन के भाईयों ने भी इस बिल की तारीफ की और चौधरी रिजक राम जी ने व्यंग्य से

कहाकि इस से अच्छा भलाई का बिल और नहीं आ सकता । जैसे यहां पर पहले हमारे माननीय सदस्य श्री गुलाब सिंह जैन जी यह फर्मा रहे थे, एक हमारे यहां सोनीपत की पोलिटिक्स की बात है इसलिये जो बिल हमारा आएगा उसको फिजूल का बिल कहेंगे और बात भी ऐसी है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सोनीपत और गोहाने की बात है । यह पोलिटिकल राइवलरी की बात है और यह पोलिटिकल राइवलरी महाभारत के जमाने की बात है । हमारा जो गोहाना है वह जींद की तरफ है जहां पिडोरा बगैरह है और यह जो महाभारत की लड़ाई हुई उस वक्त पांडवों का कैम्प पिडोरा में था और दुर्योधन का कैम्प सोनीपत में था (हंसी) दुर्योधन का कैम्प सोनीपत में था, आज वह इसलिये अर्थक्वेक का ऐपी–सैटर नार्दन इंडिया में है, यह फैक्ट है । पंडित जी सोनीपत तहसील के नहीं हैं वे तो झज्जर तहसील के हैं । दूसरे हमारे चौधरी पीर चन्द जी ने कहा किबैडं–बाजे वाले 52 होने चाहियें । तो ये तो हर एकचीज को उलटा कहते है इन्होंने मैरिज पार्टी वाली बात को उलटा कर दिया है । दो की जगह इन्होंने पांच कर दिया और पांच की जगह दो कर दिया, यानी 25 का 52 बनादिया । इसके बाद चौधरी रिजक राम ने गवर्नमैंट आफ इंडिया के पहले एक्ट के बारे में जिक्र किया । मैं मानता हूं कि उस एकट में काफी लूप होल्ज थे जिनको हमने इस एक्ट केद्वारा दूर किया है । पहलेएक्ट में कुछ क्लाकिज में बहुत लूप होल्ज थे जिनको हमने दूर किया हए । पहले एक्ट में यह था कि अगर कोई शादी में गिफ्ट देता है तो उसे डाउरी नहीं माना जाता था । अब हमने यह कर दिया है

कि पांच हजार से ज्यादा कोई भी आदमी शादी पर खर्च नहीं कर सकेगा । मेरे काबिल दोस्त ने शायद दोनों एक्ट अच्छी तरह से नहीं पढ़े । इन्होंने क्लाज 6 (1) तो पढ़ ली लेकिन क्लाज 8 (2) नहीं पढ़ी । मेरा ऐसा ख्याल है कि हमने इस चीज को इस तरीके से लिया है कि न तो किसी विशेष आदमी को इतना अधिकार मिले कि किसी की शादी में किसी किस्म की रुकावट पैदा हो और न कोई आदमी इतना पैसा खर्च करे जिससे कि समाज के ऊपर उसका बुरा असर पड़े । मेरे एक दूसरे साथी ने जिक्र किया कि कई ऐसे, खास कर जो मिडल क्लास वाले हैं, जहां पर यह प्रथा काफी बुरे रूप से फैली हुई है और वहां पर पता नहीं लाख रुपया, दो लाख रुपया या 5० हजार रुपया का फंदा पड़ता है । तो यह समाज के ऊपर इतना बुरा कलंक है कि जो दूसरे लोअर क्लास वाले हैं, वे भी इस चीज की ग्रिप में आते जा रहे हैं । अगर इस चीज को नहीं दबाया गया तो ऐसा समय आ सकता है कि कोई गरीब आदमी जिसकी कि एक लड़की है तो वह उसकी आराम से अच्छे खानदान में शादी नहीं कर सकेगा । तो इन बुराइयों को ध्यान में रखते हुए हम इस बिल को यहां लाए हैं । मैं सदन को फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमैंट आफ इंडिया का जो पहला एकट था और उसमें जो लूप होल्ज थे उनको हमने दूर किया है । मैं यह मानता हूं जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है State ways cannot change folk ways. लेकिन कानून अगर नहीं होगा तो आराम से और अच्छी तरह से इसे बदला नहीं जा सकेगा इसलिये इस बिल की आवश्यकता है ।

मैं सदन को ओपनली कह रहा हूं कि अगर इसकों ऊपर भी कोई इम्प्रूवमैंट हो सकती है तो हम इसको अमैंड करने के लिये भी तैयार हैं क्योंकि सरकार की पालिसी है कि इस बुराई को जल्द से जल्द खत्म किया जाए । हम यह चाहते हैं कि लोगों के समान अधिकार हों और इस बीमारी की वजह से कोई किसी का शिकार न हो । इन सारी चीजों को और प्रधान मन्त्री के बीस सूत्रीय प्रोग्राम को ध्यान में रख कर हम यह बिल लाए हैं और मैं समझता हूं कि इससे काफी सुधार होगा । चौधरी रिजक राम जी ने कहा कि यह सिर्फ प्रचार के लिये है । मैं उनको बता दूं कि हम प्रचार भी करते हैं और साथ–साथ कानून भी बना रहे हैं कि इस सामाजिक बुराई को दूर किया जाए । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Dowry Prohibition Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 11

Deputy Speaker : Question is—

That clauses 2 to 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Madam, I beg to move—

That the Haryana Dowry Prohibition Bill be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Dowry Prohibition Bill be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Dowry Prohibition Bill be passed.

The motion was carried.

दी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर

(हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 1976

Transport Minister (Shri K. L. Poswal): Madam, I beg to introduce the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1976.

I also beg to move—

That the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Question is—

That the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 4

Deputy Speaker : Question is—

That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Transport Minister (Shri K. L. Poswal) : Madam, I beg to move—

That the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Code of Criminal Procedure (Haryana

Amendment and Validation) Bill be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन्शन एंड मैडीकल फैसिलिटीज बिल, 1976

Transport Minister (Shri K. L. Poswal) : Madam, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities Bill, 1976.

I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities Bill be taken into consideration at once.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बहुत गम्भीर बिल हाउस के सामने आया है जिसका ताल्लुक हमारी जमहरियत, पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी के रवायात से हे । इस बिल के लिये मैं इस गवर्नमैंट को और इस हाउस को वधाई देता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा यूक और लीड देने

चला है । यह कुरसी जो डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने आकुपाई कर रखी है इसके पीछे लम्बी हिस्ट्री है और जिन लोगों ने ब्रिटिश कांस्टीच्यूशन पढ़ा है वे जानते हैं कि इस कांस्टीच्यूशन से हम ने कुछ रवायात ली हैं, फ्रांस से भी ली हैं और दूसरे डैमोक्रेटिक कंट्रीज से भी ली हैं जहां पर कि तीन चार सौ साल की बड़ी मेहनत करने के बाद कुछ इक्टी– ट्यूशंज बने हैं। उन में से एक इन्स्टीयूटुशन इस चेयर का है । स्पीकर का हैऔर जो सैकटिटी स्पीकर की इस इक्टीट्यूशन को इस पार्लियामैट्री सिस्टम में दी गई है उतनी अहम पोजीशन ब्रिटिश कांस्टीच्यूशन की कनसैप्ट में न पी० एम० को है और न ही वहां के कांस्टीच्यूशन के मुताबिक वहां के बादशाह को है और कोई ऐग्जैक्टिव हैड उसकी आनर या रिसपैक्ट के नजदीक नहीं जाता । उन लोगों के यहां रिटन कांस्टीच्यूशन तो है नहीं लेकिन इस चेयर के बारे में जिसे मैं अलैक्टिड जज कहना ज्यादा मौजूं समझता हूं ट्रेडीशन से ऐसा डिवैल्प किया है कि उसकी एक बहुत ही अहम पोजीशन है । कोई मामला जब हाउस में आता है या प्रिविलेज कमेटी से कोई बात आती है तो सारा हाउस, हाउस आफ लार्डज में कन्वर्ट हो जाता है वहां पर और इस चेयर का रूलिंग और फैसला किसी मामला पर आखरी समझा जाता है । वही प्रथा यहां चली आती है यह दूसरी बात है कि हम उस संजीदगी से उन चीजों को डिसकस नहीं करते हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि स्पीकर का रूलिंग किसी कोर्ट में चौलेंज नहीं हो सकता, इस अलैक्टिड जज का रूलिंग फाइनल होता है किसी जुडीशियल कोर्ट

में चौलेंज नहीं हो सकता और इस तरह आप देखें दूसरी इन्डीपैडैटं जुडीशरीइस अलैक्टिड के दर्जा पर कम आती है । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस चेयर की इस इन्स्टीच्यूशन की जितनी इज्जत की जाये उतनी कम है । जिस तारीख से यह लागू हुआ है उसके मुताबिक मैं दोनों ही इनकम्बैटंस को, जो अब चेयर पर हैं उनको भी और जो इनसे पहले चेयर पर थे उनको भी मुबारिकबाद देता हूं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपनी लिमिटेशन को जानता हूं लेकिन कई बार मैं अपने आप के बारे में अंडर एस्टीमेट नहीं करता । मैं महिज राजी करने के लिये कोई बात नहीं कहता । मैं फखर के साथ कहता हूं कि कई बार कुरसी इनसान को बनाती है लेकिन कई बार इनसान भी कुरसी को बनाता है । ये जो दोनों स्पीकर थे, पहले वाले भी और अब वाले भी, इन दोनों ने इस कुरसी को बनाया और इस कुरसी की शान को बढ़ाया (थम्पिंग) इस हाउस में मैं बड़े फजर के साथ कह सकता हूं कि गुप्ता जी मुझे ऐज सी० एम० याद नहीं रहते और मेरे दिमाग में गुप्ता जी के बारे में एक ही इमेज है, उस वक्त का जब यह स्पीकर होते थे । जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीकरी निभाई इस इलैक्टिड जजी की डयूटीज परफार्म की वे काबिले तारीफ हैं और इस बिल में वन आफ दि बैनिफिशरीज वह हैं । वह स्पीकर थे, स्पीकर के बाद वजीर बने और अब सी० एम० हैं । कैरैक्टर असैसीनेशन हमारी पुलीटीकल लाइफ का एक हिस्सा बन गई है लेकिन कोई भी क्रिटक उन्हे उनकी इनडीपैडैस के लिये और उनकी इनटै– गरिटी के लिये कुछ नहीं कह सकता । अब

जो इस कुरसी के अकूपैटं हैं उनके बारे में भी ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ यह कहना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, यह मालूम है स्पीकर साहिब को कि यहां से कुछ आदमी शिकायत करने गये देहली कुरप्शन की और उन में..... ।

श्री के० एल० पोसवाल : यह कन्वैन्शन नहीं है ऐक्चुअली कि इस तरह की बातें इस किस्म के बिल पर बोली जाये और उनको डिस्कस किया जाये । जब यह खुद मानते हैं कि इसकी सैंविटटी इतनी है तो फिर ये कुरप्शन की बातें करना और उसके साथ यह तारीफ.. मैं तो इन से दरखासत करूंगा कि वह इसको इसी लैवल पर रखें ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : मैं बिल्कुल अदब के साथ कबूल करता हूं और मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि..... ।

उपाध्यक्षा : मैं मैंबर साहब से रिक्वैस्ट करती हूं कि वह बिल के ऊपर ही बोले इस पर ऐसी बोलने वाली कोई चीज नही है ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इन दोनों इनकम्बैट्स के लिये ग्रेट रिसपैक्ट है लेकिन इसके साथ मैं हाउस को अगली जो बात कहना चाहता हूं वह एक अमैंडमैंट के बारे में है जो मैंने दी हुई है.....

Deputy Speaker : Your amendment has been rejected by the office. You cannot raise that amendment here.

You cannot speak on the amendment..

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : मैं बगैर अमैंडमैंट के भी बोल सकता हूं

Deputy Speaker : You cannot speak on the amendment.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : चलो छोड़ दीजिये अमैंडमैंट लेकिन मुझे अगर आप बोलने की इजाजत दें तो बोलूं । तो मेरी अर्ज यह है कि जहां उन रवायात में, कांस्टीच्यूशन में, इस चेयर के लिये रिस्पैक्ट डिवैल्प हुई, ब्रिटिश कांस्टीच्यूशन की कन्सैप्ट के तहत वहां उस कन्सैप्ट में एक रवायत और भी डिवैल्प हुई । आपको याद होगा कि जब सरदार हुकम सिंह, जो स्पीकर के बाद गवर्नर बने तो कई अखबारों में कई भाइयों को याद होगा, ऐडीटोरियल्ज लिखे गये कि यह बात इन्डीपैंडैसं को एन्क्रोच करेगी और किसी भी स्पीकर को इस बात का ख्याल रहे कि तुम्हें कोई ऐग्जैक्टिव आफिस मिलेगा तो यह इन्डीपैंडैसं आफ चेयर को अफैक्ट करता है । चुनांचे सरदार हुकम सिंह ने उसका जवाब भी दिया, उन्होंने अपना लैटर भी निकाला लेकिन वह भी इस चीज को मानते थे । मेरी अर्ज यह है कि हमें एक तो स्पीकर के बारे में यह प्रोविजन करना चाहिये, अगर रिप्रेकैटेशन आफ पीपल्क ऐक्ट में नहीं कर सकते तो एक ट्रेडीशनही डिवैल्प कर लें कि Once a Speaker always a Speaker; if not Speaker, then nothing else. This is in accordance with the concept of dignity of the Chair. आम तौर पर इंगलैंड में तो इन्डीपैंडैट आदमी भी विद लीगल

ऐक्यूमैन चाहे वह इन्डीपैंडैट आया हो या किसी भी पार्टी टिक्ट पर आया हो.....

श्री के ० एल० पोसवाल : इस में तो हमपैंशन देने की बात कर रहे हैं और आप. ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : मैं पैंशन की ही बात कर रहा हूं हजूर । पैशन तो स्पीकर को दे ही रहे हैं और उसके लिये तो मैं हाउस को और इन दोनों इनकम्बैटंस को मुबारिकबाद दे रहा हूं और मैंबरान के साथ भी जिनके वोट से यह मिलेगी, उनके साथ भी हमदर्दी जाहिर कर रहा हूं कि उनका भी नम्बर आ जायेगा, कोई ऐसी बात नहीं । बाकी मैं इतनी अर्ज जरूर करूंगा कि यह ट्रेडीशन भी बना लो कि स्पीकर के इलैक्शन में उसका मुकाबिला कोई न करे...

श्री के० एल० पोसवाल : इस बिल में कैसे आयेगी यह बात?

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : बिल में यह है या नहीं लेकिन स्पीकर की डिगनिटी से मेरा आब्जैक्ट तो यह है कि इस चेयर की डिगनिटी को कायम रखा जाये और उसको अलैक्शन में अपोज न किया जाये । (विध्न)

उपाध्यक्षा : आप बिल पर ही बोलें ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : आपने उन से गाइडैस

लेनी है डिप्टी स्पीकर साहिबा, मे ही ठीक बोल रहा हूं और बिल पर ही बोल रहा हूं और यह कह रहा हूं कि स्पीकर के इलैक्शन मे मुकाबिला नहीं होना चाहिये और उसके बाद जब वह दोबारा हाउस में चुन कर आता है तो वह स्पीकर ही बनना चाहिये ।

श्री के० एल० पोसवाल : इस के लिये सैप्रेट बिल आ सकता है इस में यह बात नहीं आती है

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : लाइये फिर । मैं सुझाव तो दे सकता हूं और मैं रिक्वैस्ट कर सकता हूं.. ।

श्री के० एल० पोसवाल : हमारी पार्टी ने तो पहले भी ऐसा कहा था लेकिन आपके मैंबर नहीं माने.... ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः मैं तो आपसे ज्यादा मानता हूं (विध्न) मेरी अर्ज यह है कि हमें इस चेयर की डिगनिटी के लिये रवायत बनानी चाहिये और वह यह कि अपने स्पीकर साहब जो हैं उनके मुकाबिले पर कोई पार्टी अपना कैडीडेट इलैक्शन में खड़ा न करे और जब वह दोवारा इलैक्ट होकर आये तो वह स्पीकर ही बने ताकि स्पीकर के दिमाग में कभी भी यह बात न आये कि वह किसी पार्टी के रहम पर है और उसने उस पार्टी से कुछ लेना है । एक और अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह कुछ पिछली तारीख से लागू होता तो जो आदमी पहले था और दूसरी तरह पैंशनर है, आगे भी कोई पैंशनर आ सकता है तो ऐसे आदमी को भी मिल जाती । इसमें इस किस्म का कोई प्रोविजन

नहीं है कि वह दो पैशज न ले सके । इस मे एक प्रोविजन यह है कि अगर स्पीकर दोबारा लैजिस्लेचर हाउस के लिये चुना जाये वह मैंबर है, पार्लियामैंट में हो या असैम्बली में हो या मिनिस्ट्री में हो, डयूरिंगदैट पीरियड वह नहीं ले सकेगा । मैंने यही अमैंडमैंट दी थी कि मैं यह 'डयूरिंग' वाली बात पसंद नहीं करता और वह कन्टीन्यू करनी चाहिये क्योंकि वह इस चेयर की है । इस लिये या तो यह बात हो और या फिर यह हो कि वह और कोई औहदा आकूपाई ही न करे और जो कन्सैप्ट पीछे से चेयर का चला आ रहा है कि वह स्पीकर के बाद स्पीकर ही बने और परमानैट रहे । तो दोंनों मेरे सुझाव यह थे. (विध्न) । चलो जिस तरह से आप लोगों को पसंद हो वैसे ही करं लो मैंने सुझाव दे दिया है । तो इन अलफाज के साथ मैं इस हाउस को बधाई देता हूं कि इस ने इस चेयर की डिगनिटी बरकरार रखने के लिये देश में सब से पहले यह कन्वैंशन बनाई है और पहली बार हिन्दुस्तान में इस चेयर के लिये रिटायरमैटं के बाद सैंस आफ सिक्योरिटी दी है और इस के साथ–साथ मैं इन दोनो इनकम्बैट्स को भी जोइससे बैनिफिशरी हैं बधाई देता हूं । इन अलफाज के साथ मैं इस बिल की ताइद करता हूं ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities Bill be taken into combination at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the will

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Deputy Speaker : Question is--

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Transport Minister (Shri K.L. Poswal) : Madam, I beg to move-

That The Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities be passed.

Deputy Speaker : Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly Speeaker's Pension and Medical Facilities Bill be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities Bill be passed.

The motion was carried.

12.31 बजे

Deputy Speaker : Now the House stands *adjourned Sine-die.

(The Sabha then adjourned Sine-die.)